वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

2017-18

मात्स्यिकी निदेशालय
हिमाचल प्रदेश

1

पुर्वावलोकन

हिमाचल प्रदेश में मात्स्यिकी विभाग की स्थापना वर्ष 1966 में एक स्वतन्त्र विभाग के रूप में हुई। इससे पूर्व वन विभाग का एक विंग मत्स्य विभाग के कार्य की देख–रेख कर रहा था तत्पश्चात प्रदेश में उपलब्ध जल संसाधनों का वैज्ञानिक ढंग से विकास व दोहन करके विभाग स्वतन्त्र रूप से प्रदेशवासियों के उत्थान के लिए अस्तित्व में आया। हिमाचल प्रदेश भारत वर्ष के उन राज्यों में से है जिन्हें प्रकृति द्वारा पहाड़ो से निकलने वाली बर्फानी नदियों का जाल प्रदान किया है जो कि राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों, अर्ध मैदानी क्षेत्रों से गुजरती हुई मैदानों मे जाती है और इन नदियों के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा भी अधिक होती है। राज्य में बारहमासी नदियां व्यास, सतलुज, यमुना और रावी नदी बहती हैं जिनमें मत्स्य की शीतल जलीय प्रजातियां जैसे गुगली (साइजोथरैक्स), सुनैहरी महाशीर व ट्राऊट पाई जाती हैं। शीतल जलीय मत्स्य संसाधनों के दोहन के लिए महत्वाकांक्षी इण्डो–नार्वेयन ट्राऊट फार्मिग परियोजना के राज्य में सफल कार्यान्वयन से राज्य ने वाणिज्यिक ट्राऊट पालन को निजी क्षेत्र में प्रचलित करने का गौरव अर्जित किया है। प्रदेश के जलाशय गोबिन्दसागर, पौंग डैम, कोलडैम, चमेरा तथा रणजीत सागर में उत्पादित व्यवसायिक तौर पर महत्वपूर्ण मत्स्य प्रजातियां क्षेत्रीय लोगों के आर्थिक उत्थान का मुख्य साधन बन गई हैं। प्रदेश में निम्नलिखित जल संसाधनों का वैज्ञानिक ढंग से विकास किया गया :–

शीत जल : ट्राऊट जल 600 कि0मी0

सामान्य जल : 2400 कि0मी0

जलाशय जल स्त्रोत : 43785 हैक्टेयर

तालाबों एवं छोटे चश्मों के रूप में सामान्य जलक्षेत्र : 801.74 हैक्टेयर

ठण्डे क्षेत्रों की प्राकृतिक झीलें एवं निर्मित तालाब : 617 हैक्टेयर

2

विभाग का संरचनात्मक ढांचा

हिमाचल प्रदेश मात्स्यिकी विभाग में निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य (विभागाध्यक्ष) के अतिरिक्त 2 उप–निदेशक मत्स्य, 9 सहायक निदेशक मत्स्य, 7 वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी व 15 मत्स्य अधिकारी अपने सहयोगी कर्मचारियों के साथ कार्य निष्पादन कर रहे हैं। वर्ष 2017–18 के दौरान **श्री वीरेन्द्र कंवर, माननीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पशुपालन व मत्स्य पालन मन्त्री के रूप में, श्री जगदीश चन्द्र शर्मा, प्रधान सचिव (मत्स्य)** के रूप में विभाग के मार्गदर्शक तथा **श्री सतपाल मैहता, निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य** रहे। निदेशालय स्तर पर श्री सुशील जनार्था, उप–निदेशक मुख्यालय, श्री जय सिंह सहायक निदेशक मत्स्य–20 सूत्रीय कार्यक्रम,

श्री हमीर चन्द सहायक निदेशक मत्स्य–मुख्यालय, श्री सदा राम सहायक निदेशक (सांख्यिकी), समस्त तैनात कर्मचारी वर्ग के साथ तथा क्षेत्रीय स्तर पर कुल्लू में उप निदेशक मत्स्य, पतलीकूहल व अन्य जिलों में सहायक निदेशक मत्स्य विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी रहे। केवल जिला हमीरपुर में यह कार्य वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी द्वारा सम्बन्धित सहायक निदेशक मत्स्य की देखरेख में, जिला किन्नौर में वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, सांगला द्वारा तथा जिला लाहौल व स्पिति में विभाग का कोई अधिकारी तैनात न होने के कारण यह कार्य लाहौल में वन मण्डल अधिकारी द्वारा तथा पांगी एवं स्पिति में सहायक निदेशक पशु पालन विभाग द्वारा क्रियान्वित किया गया।

वर्ष 2017–18 में उपलब्ध विभागीय संरचना

क्रं0सं0	नाम	पदनाम
1.	श्री वीरेन्द्र कंवर	माननीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पशुपालन व मत्स्यपालन मन्त्री हिमाचल प्रदेश, शिमला।
2.	श्री जगदीश चन्द्र शर्मा	प्रधान सचिव (मत्स्य), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
3.	श्री सतपाल मैहता	निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य, हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर।
4.	श्री विजय कुमार पुरी	उप–निदेशक मत्स्य, पतलीकुहल, जिला कुल्लू, हि0प्र0।
5.	श्री सुशील जनारर्था	उप–निदेशक मत्स्य (मु0), मत्स्य निदेशालय बिलासपुर, हि0प्र0।
6.	श्री तपेश कुमार चौहान	सहायक निदेशक मत्स्य, सोलन, हि0प्र0। (अतिरिक्त कार्यभार)
7.	श्री महेश कुमार	सहायक निदेशक मत्स्य, पौग डैम, हि0प्र0।
8.	श्री भूपेन्द्र कुमार	सहायक निदेशक मत्स्य, नाहन, हि0प्र0।(अतिरिक्त कार्य भार)
9.	श्री योगेश कुमार गुप्ता	सहायक निदेशक मत्स्य, पालमपुर जिला कागंड़ा हि0प्र0।
10.	श्री हमीर चन्द	सहायक निदेशक मत्स्य, (मु0) बिलासपुर हि0प्र0।

11.	श्री तपेश कुमार चौहान	सहायक निदेशक मत्स्य, शिमला, हि0प्र0।
12.	श्री जय सिंह	सहायक निदेशक मत्स्य, (बीस सूत्रीय कार्यक्रम) मत्स्य निदेशालय, बिलासपुर हि0प्र0।
13.	श्री खेम सिंह ठाकुर	सहायक निदेशक मत्स्य, मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0।
14.	श्री भूपेन्द्र कुमार	सहायक निदेशक मत्स्य, ऊना, हि0प्र0।
15.	डॉ. लवल कुमार	सहायक निदेशक मत्स्य, चम्बा, हि0प्र0।
16.	श्रीमति चंचल ठाकुर	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, हमीरपुर, हि0प्र0।
17.	डॉ0 सोम नाथ	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, मत्स्य फार्म नालागढ़, हि0प्र0।
18.	श्री जगत पाल शर्मा	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, मत्स्य फार्म दयोली बिलासपुर हि0प्र0।
19.	श्री श्याम लाल शर्मा	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, बिलासपुर, हि0प्र0।
20.	श्री पंकज ठाकुर	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, पालमपुर, स्थित कार्प फार्म कांगड़ा, हि0प्र0।
21.	श्री विवेक शर्मा	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, दयोली गगरेट, जिला ऊना हि0प्र0।
22.	श्रीमति नीतू सिंह	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, बटाहर, जिला कुल्लू, हि0प्र0।
23.	श्री संदीप कुमार	मत्स्य अधिकारी, देहरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
24.	श्री राकेश कुमार	मत्स्य अधिकारी, खटियाड़, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
25.	श्री अरूण कान्त वर्मा	मत्स्य अधिकारी, मच्छयाल, जिला मण्डी, हि0प्र0।
26.	कु0 रिचा गुप्ता	मत्स्य अधिकारी, मत्स्य फार्म अल्सू, जिला मण्डी, हि0प्र0।
27.	श्री अजय कुलदीप	मत्स्य अधिकारी, ट्राऊट फार्म पतलीकुहल, जिला कुल्लू, हि0प्र0।
28.	श्री राम सिंह	मत्स्य अधिकारी, मत्स्य आवतरण केन्द्र डाडासीबा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
29.	श्री विजय कुमार सरोच	मत्स्य अधिकारी, मत्स्य आवतरण केन्द्र नगरोटा सूरीयां जिला कागड़ा हि0प्र0।
30.	श्री राजेन्द्र पॉल	मत्स्य अधिकारी, ट्राऊट मत्स्य फार्म बरोट, जिला मण्डी, हि0प्र0।
31.	श्री दुनी चन्द	मत्स्य अधिकारी, ट्राऊट फार्म हामणी, जिला कुल्लू हि0प्र0।

32.	श्री सुरेन्द्र कुमार पटियाल	मत्स्य अधिकारी, मत्स्य आवतरण केन्द्र, लठियाणी, जिला ऊना, हि0प्र0।
33.	श्री हितेश कुमार कौण्डिल	मत्स्य अधिकारी, मत्स्य आवतरण केन्द्र, जडडू बिलासपुर हि0प्र0।
34.	श्री तेजराम	मत्स्य अधिकारी, मत्स्य आवतरण केन्द्र, बिलासपुर हि0प्र0।
35.	श्री प्रीतम चन्द	मत्स्य अधिकारी, मत्स्य आवतरण केन्द्र, संधारा, जिला चम्बा, हि0प्र0।
36.	श्री मनजीत सिंह	मत्स्य अधिकारी, मत्स्य आवतरण केन्द्र, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
37.	श्री दिलवर सिंह	उप–निरीक्षक मत्स्य, पालमपुर हि0प्र0।
38.	श्री विजय कुमार	मत्स्य अधिकारी, मत्स्य ट्राऊट फार्म होली, जिला चम्बा, हि0प्र0।
39.	श्री प्रदीप कुमार	मत्स्य अधिकारी, मत्स्य आवतरण केन्द्र, सुन्नी, जिला शिमला, हि0प्र0।
40.	श्री नीलमणी	उप–निरीक्षक मत्स्य, मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0।
41.	श्री बलजीत सिंह	उप–निरीक्षक मत्स्य, मत्स्य आवतरण केन्द्र, भाखडा, जिला बिलासपुर, हि0प्र0।
42.	श्री लेख राज	उप–निरीक्षक मत्स्य, ट्राऊट फार्म धमवारी, जिला शिमला, हि0प्र0।
43.	श्री कर्म चन्द	उप–निरीक्षक मत्स्य, ट्राऊट फार्म सांगला, जिला किन्नौर, हि0प्र0।
44.	श्री ज्ञान चन्द	उप–निरीक्षक मत्स्य, मत्स्य आवतरण केन्द्र, राजनगर जिला चम्बा, हि0प्र0।
45.	श्री प्रभु लाल	उप–निरीक्षक मत्स्य, शिमला, जिला शिमला हि0प्र0।
46.	श्री दीप राम	उप–निरीक्षक मत्स्य, मत्स्य आवतरण केन्द्र, जगातखाना जिला बिलासपुर हि0 प्र0।
47.	श्री विमल गुलेरिया	मत्स्य अधिकारी, पतलीकुहल, जिला कुल्लू हि0प्र0।
48.	श्री विकास चन्द्रा	मत्स्य अधिकारी, मत्स्य आवतरण केन्द्र, कसोल, जिला बिलासपुर हि0प्र0।
49.	श्री अजय कुमार	मत्स्य अधिकारी, मत्स्य आवतरण केन्द्र, बैरल, जिला सोलन हि0प्र0।

पतलीकूहल फार्म, जिला कुल्लू हि0प्र0।

12वीं पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना 2017–18 के लक्ष्य एवं प्राप्तियां

क्रं. सं.	मद	12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य (2012–17)	12वीं पंचवर्षीय योजना की प्राप्तियां (2012–17)	वार्षिक योजना 2017–18 के लिए निर्धारित लक्ष्य	वार्षिक योजना 2017–18 की प्राप्तियां
1.	मत्स्य उत्पादन (मीट्रिक टन)	37605.00	53436.71	13200.00	12765.36
2.	कार्प बीज उत्पादन (लाख)	1220.00	1874.663	580.00	608.953
3.	ट्राऊट ओवा उत्पादन (लाख)	59.00	75.567	16.50	19.657

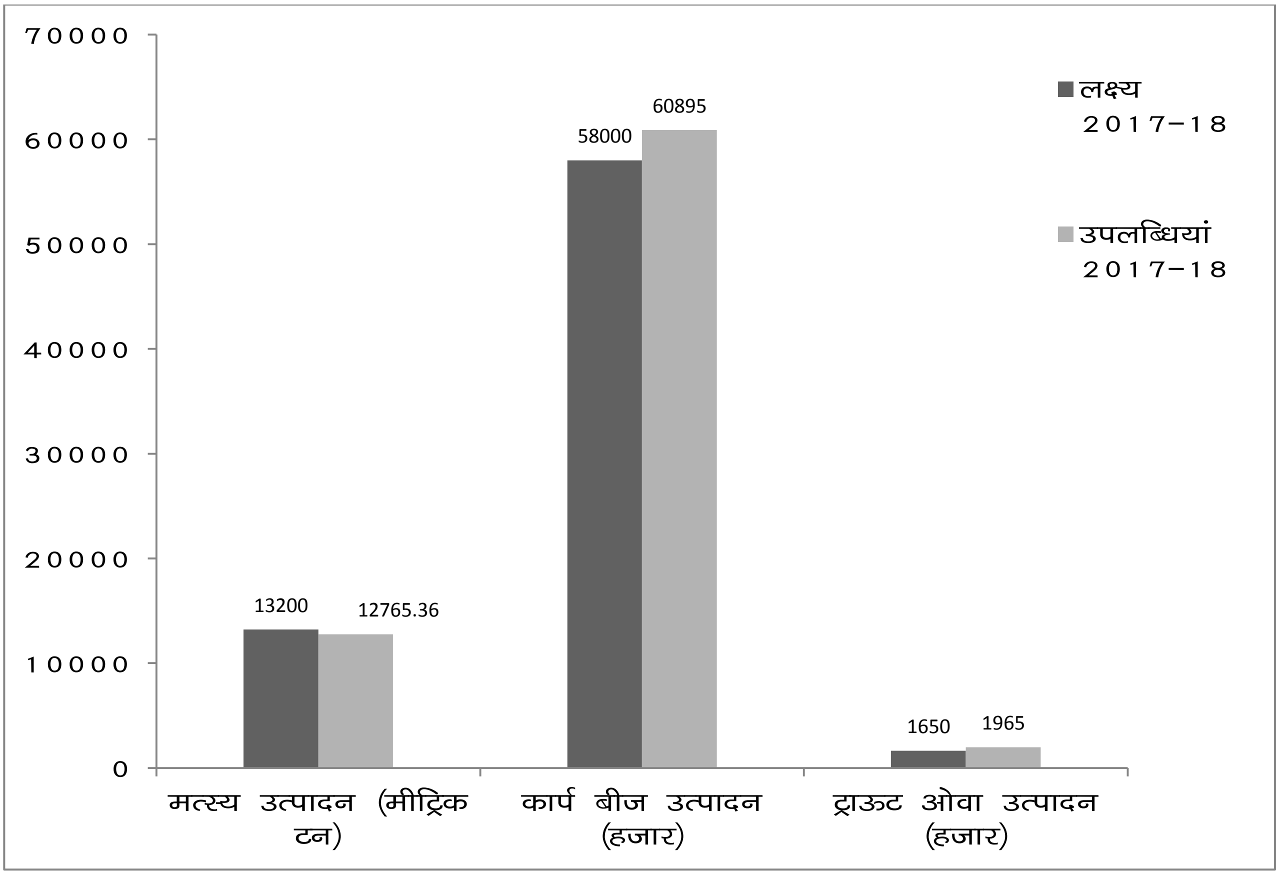

4

विभागीय उद्देश्य

विभाग निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयासरत हैः-

- प्रदेश में मछली पालन योग्य जलों के उचित प्रबन्धन से मत्स्य उत्पादन में बढ़ौतरी तथा वर्ष 2022 तक मत्स्य उत्पादन को दुगुना करना
- खुले जल में प्रति हैक्टेयर मत्स्य उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से जलाशय मत्स्य पालन को विकसित करना;
- जलाशय तथा नदीनालों में बीज संग्रहण कार्यक्रम में वृद्धि के उद्देश्य से भारतीय तथा विदेशी मछलियों जैसे महाशीर, ट्राऊट व अन्य समशीतोषण प्रजातियों का बीज उत्पादन करना;

- राज्य में क्रीड़ा मत्स्य को बढ़ावा देना विशेषतः ट्राऊट का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन करना;
- राज्य में मत्स्य पालन के विस्तार हेतु मछुआरों एवं ग्रामीण युवकों को तकनीकी प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना;
- मत्स्य क्षेत्र में रोज़गार के सुअवसर प्रदान करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की दशा सुधारने में योगदान करना;
- निजी क्षेत्र में मत्स्य बीज उत्पादन एवं मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना;
- मत्स्य सहकारी सभाओं के अन्तर्गत कार्यरत मछुआरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का सुचारू क्रियान्वयन;
- मत्स्य उत्पादन में बढ़ौतरी हेतु नवीनतम उपयुक्त प्रजातियों के सम्वर्धन को बढ़ावा देना।

नदीय मात्स्यिकी

जलाशय मात्स्यिकी

5

वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण उपलब्धियां

ट्राऊट फार्म धमवाड़ी, जिला शिमला

- इस वर्ष राज्य में विद्यमान सभी जल स्त्रोतों से 15822.45 लाख रूपये की 12765.36 टन मछली का उत्पादन किया गया।
- विभागीय ट्राऊट फार्मों से इस वर्ष 47.39 लाख रूपये कीमत की 10.53

मीट्रिक टन खाने योग्य ट्राऊट का उत्पादन किया गया है। इन फार्मों से विभाग को कुल 129.75 लाख रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। इस वर्ष निजी क्षेत्र में भी 2007.90 लाख रूपये कीमत की 446.20 मीट्रिक टन ट्राऊट मछली का उत्पादन किया गया है। प्रदेश में रेनबो ट्राऊट के सफलता पूर्वक प्रजनन के परिणाम स्वरूप न केवल कुल्लू जिला अपितु शिमला, मण्डी, कांगड़ा, किन्नौर व चम्बा जिलों में भी निजी क्षेत्र में ट्राऊट इकाईयों की स्थापना की गई है तथा वर्ष 2016–17 से जिला सिरमौर के निजी क्षेत्रो में भी 10 ट्राऊट इकाईयां स्थापित की गई है।

- इस वर्ष विभाग द्वारा सभी संसाधनों से 329.94 लाख रूपये का राजस्व अर्जित किया गया है जोकि निर्धारित लक्ष्य (390.12) से 60.18 लाख रूपये गोविन्दसागर जलाशय का उत्पादन घट जोने के कारण कम रहा।

जलाशयों से मछली उत्पादन

- राज्य के प्रमुख जलाशयों में इस वर्ष 5488 (गोविन्दसागर 2413, कोलडैम 152, पौंगडैम 2725, चमेरा 154 व रणजीत सागर 44) माहीगीरों को पूर्णकालीन स्वरोजगार उपलब्ध करवाया गया। इन माहीगीरों द्वारा 10.95 करोड़ रूपये मूल्य की 898.00 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन किया गया है, जिससे मछुआरों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हुई है।

- विभागीय कार्प फार्मों से वर्ष 2017–18 में 530.953 लाख तथा निजी कार्प फार्मो से 78.00 लाख (कुल 608.953 लाख) मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया है।

- राज्य में मत्स्य आखेट की गतिविधियों में कार्यरत 12650 माहीगीरों को निःशुल्क जीवन सुरक्षा निधि के अन्तर्गत लाया गया है जिसके अन्तर्गत प्रदेश के पंजीकृत मछुआरों/मत्स्य पालकों की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर अथवा स्थाई रूप से विकलांग होने की स्थिति में 2.00 लाख

जलाशयों में मत्स्य बीज

रूपये का निशुल्क बीमा कवच, आंशिक रूप से विकलांग होने की स्थिति में 1.00 लाख रूपये व चिकित्सा उपचार हेतु 10,000 रूपये का प्रावधान किया गया है।

- इस वर्ष 3850 सक्रिय जलाशय माहीगीरों को बन्द आखेट मत्स्य सीजन के दौरान मु0 77.00 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जानी अपेक्षित है।
- केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम–मछुआरों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय योजना के घटक आर्दश मछुआरा ग्राम विकास योजना के कार्यन्वयन की प्रक्रिया विभाग द्वारा वर्ष 2015–16 में आरंम्भ की गई थी। इस योजना का कार्यान्वयन केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा 50:50 अनुपात में वहन किया गया था। वित्तिय वर्ष 2017–18 में इस स्कीम का कार्यान्वयन नहीं किया गया।
- जलाशयों में कार्यरत माहीगीरों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण मत्स्य आखेट उपकरणों को होने वाले नुकसान की भरपाई हेतु सभी मछुआरों को ‘‘जोखिम निधि योजना’’ के अन्तर्गत लाया गया है। इस वर्ष इस योजना के अन्तर्गत 5453 माहीगीरों ने 20/– रू0 की दर से इस कोष में कुल 1,09,060/–रू0 एकत्रित किए तथा इतनी ही राशि अर्थात कुल 2,18,120/– रू0 आपदा राहत कोष में जमा किये गए।
- मत्स्य पालन को राज्य में बढ़ावा देने तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत 769 नए रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं।
- 90.00 लाख रू0 की लागत से जो दो फीड मिल प्लॉंट, एक कार्प फार्म देवली (गगरेट) जिला ऊना तथा दूसरा कार्प फार्म सुलतानपुर जिला चम्बा में एक–एक आहार संयंत्र स्थापित किया जा रहा था वह अगस्त 2017 में पूरा कर लिया गया है।
- कार्प फार्म नालागढ़ जिला सोलन व देवली फार्म (गगरेट) जिला ऊना में दोनो फार्म कार्यशील कर दिये गये हैं तथा इन फार्मों पर वर्ष 2017–18 में मत्स्य प्रजनन व बीज उत्पादन का कार्य भी आरंभ कर दिया गया है।

- वर्ष 2017–18 में विभागीय वार्षिक योजना बजट 1135.39 लाख रूपये था। इसमें से 116.50 लाख अनुसूचित जाति उपयोजना के अधीन व मु0 40.95 लाख रूपये जन–जातिय उपयोजना के अधीन व्यय किये गये हैं।

- इस अवधि में विभाग द्वारा 920 मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया गया तथा राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB) से प्राप्त अनुदान सहायता मु0 3.90 लाख रू0 की राशि से 04 जिलों से 200 व्यक्ति लाभावित हुऐ जिसमें से 150 जलाशय मछुआरे है तथा 50 मत्स्य कृषक है। इसके अतिरिक्त 04 विभागीय अधिकारी तथा 08 मत्स्य सहकारी सभाओं के सदस्यों को खाद्य प्रशंस्करण के प्रशिक्षण हेतु केन्द्रीय मात्स्यिकी संस्थान कोच्चि मे भेजा गया ।

- राज्य में वर्ष 2017–18 के दौरान 20 चेतना शिविरों का आयोजन करवाया गया जिसके अन्तर्गत 420 अभ्यर्थी लाभान्वित हुए। यह शिविर अनुसूचित जाति उप योजना (SCSP) के अन्तर्गत लगाए जाते हैं तथा एक दिन की अवधि के होते हैं।

6.

प्रमुख वार्षिक गतिविधियां

वर्ष 2017–18 में निम्नलिखित विभागीय गतिविधियां उल्लेखनीय रहीं:–

- चम्बा जिला में 4.68 करोड़ रू0 की लागत से निर्मित ट्राऊट मछली फार्म थल्ला का दिंनाक 2.6.2017 को लोकार्पण करके जनता को सौगात प्रदान की गई। इस ट्राऊट मछली फार्म में हर वर्ष 2 लाख ट्राऊट बीज का उत्पादन तथा 8.00 मीट्रिक टन ट्राऊट मछली उत्पादन का अनुमान है। इसके अतिरिक्त 68.53 लाख रू0 की लागत से चम्बा जिला के भरमौर क्षेत्र में आधुनिक एंगलिंग हट के निर्माण की आधारशिला रखी गई है। इससे एंगलिंग टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।

- हिमाचल प्रदेश के मत्स्य विभाग को भारत सरकार द्वारा दिंनाक 22 से 25 सितम्बर 2017 तक मथुरा के फरह में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कृषि उन्नति मेले में डिज़िट्ल तरीके से विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिये चुना गया। इस मेले में हिमाचल प्रदेश की वरिष्ठ अधिकारियों की चार सदस्यीय टीम ने भाग लिया तथा हिमाचल प्रदेश में डिजिटल तरीके से मत्स्य पालन के साथ–साथ विभाग की अन्य गतिविधियों को भी प्रदर्शित किया गया।

- 70 मि0मी0 आकार (size) के मछली बीज के सग्रंहण हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों(Guidelines) के फलस्वरूप अब हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2017–18 से 70मि0मी0 साईज के मछली बीज का संग्रहण किया जा रहा है। इससे मछली बीज की मृत्यु दर बहुत घटेगी तथा भविष्य में अधिक मछली उत्पादन सम्भावित है।

- हिमाचल प्रदेश में निर्मित कुल 762 ट्राऊट ईकाइयों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश ट्राऊट मछली उत्पादन में अग्रणी राज्य है। प्रदेश में ट्राऊट मछली के व्यवसाय को बढ़ावा देने हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार नई मछली Feed Mill का निर्माण करवा रही है ताकि किसानों को निम्न दरों पर पर्याप्त मात्रा में मछली पालन हेतु फीड उपलब्ध हो सके।

7.

वार्षिक योजना 2017–18

हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के उपरान्त निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता हुआ आज देश के पहाड़ी राज्यों में एक आदर्श राज्य के रूप में उभर रहा है। प्रदेश में श्वेत क्रान्ति, हरित क्रान्ति आने के बाद अब प्रदेश नील क्रान्ति की ओर अग्रसर हो रहा है। अतः इसे व्यवहारिक रूप देने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) में 2633 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया था तथा वार्षिक योजना 2017–2018 में 1138.39 लाख रूपये के संशोधित उद्व्यय से निम्नांकित योजनाऐं क्रियान्वित की गई हैंः

निर्देशन एवं प्रशासन

जलाशय संरक्षण

कार्प बीज उत्पादन

ट्राऊट बीज उत्पादन

कार्प बीज फार्मों का विस्तार

केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम ‘‘नील क्रान्ति’’ एकीकृत मात्स्यिकी विकास एंव प्रबंधन

सामुदायिक तालाबों का निर्माण

जनजातीय उप योजना

मात्स्यिकी में आंकड़ों के आधार को सुदृढ़ करना एवं सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना

8.

निर्देशन एवं प्रशासन

प्रदेश में नियोजित विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ होने के समय से मछली पालन विभाग के प्रमुख कार्य, **''नदीय स्त्रोतों में परिग्रहण मात्स्यिकी''** को बढ़ावा देना था तथा राज्य में विद्युत परियोजनाओं के स्थापित होने के कारण मत्स्य उत्पादन के नए स्त्रोत, जलाशयों के तौर पर उत्पन्न हुए हैं जिनसे वर्तमान में प्रदेश के कुल मत्स्य उत्पादन का 7.03 प्रतिशत मत्स्य उत्पादन हो रहा है। प्रदेश के निचले तथा ऊपरी क्षेत्रों में पन बिजली योजनाओं में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। प्रदेश के उपलब्ध संसाधनों का तेज गति से उपयुक्त विकास करने हेतु चलाई जा रही योजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए विभाग के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किए जाने का प्रस्ताव है। प्रदेश के मात्स्यिकी संसाधनों पर दोहन का दबाव यद्यपि दिनों–दिन बढ़ता जा रहा है, परन्तु इनमें मत्स्य विकास व संरक्षण पर नियुक्त कर्मचारी बल की संख्या दिन–प्रतिदिन घट रही है। इस वर्ष कुल स्वीकृत पदों में लगभग 135 पद खाली चल रहे हैं।

गोबिंदसागर जलाशय में मछली ग्रहण में लगा मछुआरा

योजना का नाम	**वर्ष 2017–18 का बजट प्रावधान**	**वर्ष 2017–18 में व्यय**
निर्देशन एवं प्रशासन	13.00 लाख	12.99 लाख

9.

प्रमुख विभागीय योजनाएं

(क) अन्तर्देशीय जलाशयों में मात्स्यिकी का प्रबन्ध एवं विकास :

(1) जलाशय संरक्षणः–

प्रदेश के जलाशयों का प्रदेश के मत्स्य उत्पादन में प्रमुख स्थान है। इसी तरह ये संसाधन बांध विस्थापितों की आर्थिक दशा को सुदृढ़ करने में भी सहायक सिद्ध हो रहे हैं। इन जलाशयों में मत्स्य उत्पादन की बढ़ौतरी के लिए 70 मि.मी. आकार का बीज संग्रहित किया जा रहा है। जिसके बहुत उत्साहवर्धक परिणाम आने की सम्भावना हैं।

योजना का नाम	वर्ष 2017–18 का बजट प्रावधान	वर्ष 2017–18 में व्यय
जलाशय संरक्षण	2.00 लाख	2.00 लाख

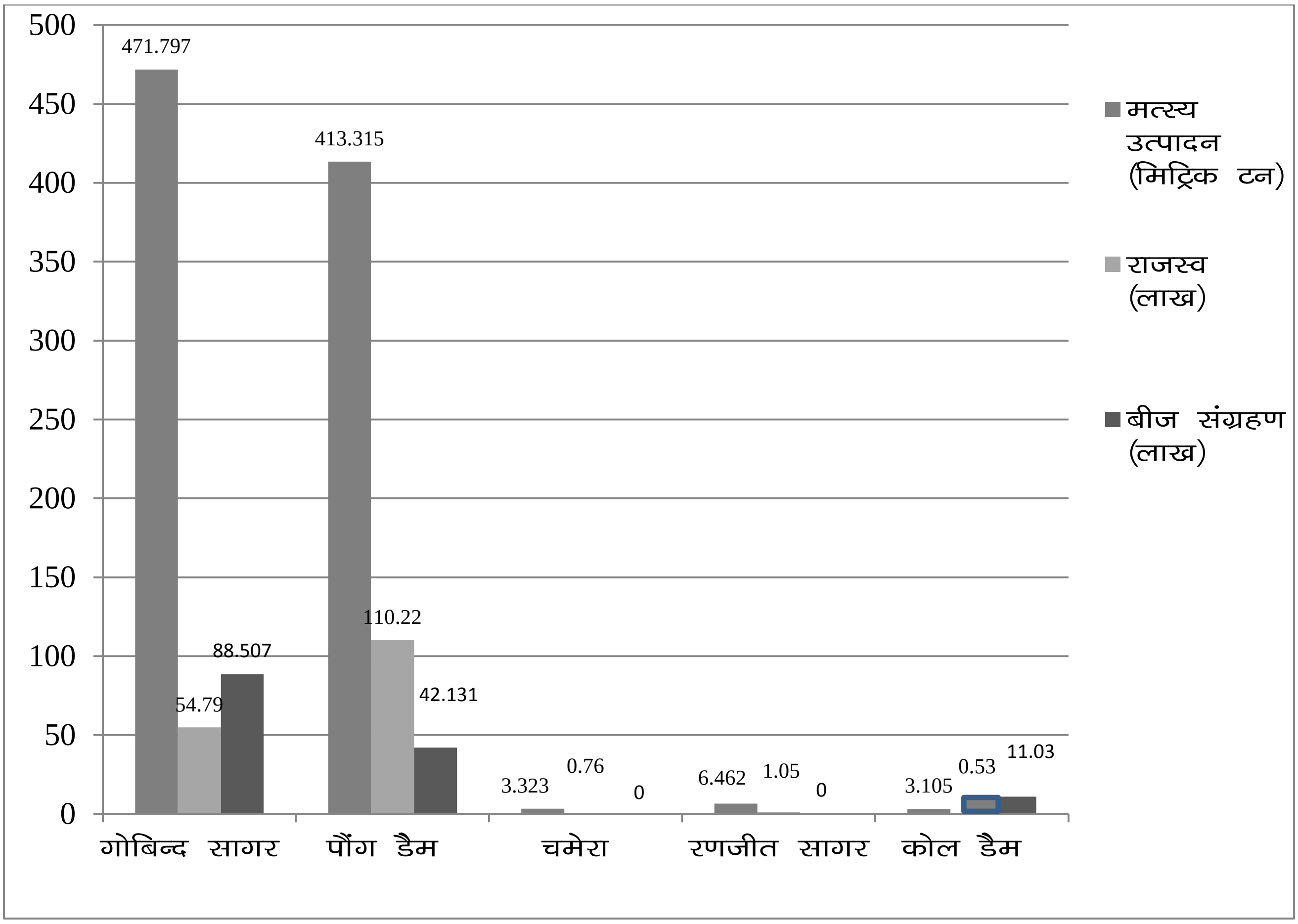

वर्ष 2017–18 के दौरान मत्स्य उत्पादन एवं राजस्व प्राप्तियांः–

जलाशय का नाम	मत्स्य उत्पादन (मी0 टन)	राजस्व (लाखों में)	बीज संग्रहण (लाखों में)
गोबिन्द सागर	471.797	54.79	88.507
पौंग डैम	413.315	110.22	42.131
चमेरा	3.323	0.76	0.00

रणजीत सागर	6.462	1.05	0.00
कोल डैम	3.105	0.53	11.03
कुल	**898.002**	**167.35**	**141.668**

(2) कार्प बीज उत्पादनः–

राज्य में पहले ही सात कार्प बीज फार्म, दयोली (जिला बिलासपुर), अल्सू (जिला मण्डी), नालागढ़ (जिला सोलन), दयोली गगरेट (जिला ऊना), कांगड़ा, सुल्तानपुर (जिला चम्बा) तथा मच्छयाल (जिला मण्डी) में स्थापित किये गये हैं तथा नया कार्प फार्म बदरीपुर (पौंटा साहिब) जिला सिरमैर में स्थापित किया जा रहा हैं। मत्स्य बीज की बढ़ती मांग तथा राज्य में बहुतायत से पनबिजली परियोजनाओं के तैयार हो जाने को ध्यान में रखते हुए उत्तम किस्म की मछली के बीज की आवश्यकता अत्याधिक बढ़ गई है। इस प्रयोजन से सभी फार्मों पर प्रबन्धन की दृष्टि से आवश्यक फेर–बदल किया जाना वांछित था।

उक्त के दृष्टिगत इन फार्मों पर वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मछलियों के बीज उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए कार्प बीज केन्द्र दयोली (बिलासपुर) को हिमाचल प्रदेश मात्स्यिकी सम्बर्धन, दोहन और विपणन समिति के अन्तर्गत स्थानान्तरित कर दिया गया है। मछली तथा मछली बीज उत्पादन के लिए मछली बीज केन्द्र नालागढ़ (सोलन) व दयोली गगरेट (ऊना) को निजि उद्यमियों से माह नवम्बर, 2011 में वापिस लिया गया। राज्य में 'महाशीर' मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस मछली प्रजाति का हिमाचल के मत्स्य फार्म, मच्छयाल (मण्डी) में सफलतापूर्वक प्रजनन करवा लिया गया है ताकि इसके उत्पादन से मत्स्य पालकों को अधिक लाभ प्राप्त हो सके। प्रदेश में मत्स्य क्रीड़ा को रूचिकर बनाये रखने से पर्यटन विकास में वृद्धि की जानी संभव है। इसलिए प्रदेश के नदीय स्त्रोंतों में मत्स्य बीज संग्रहित करना अति आवश्यक है। महाशीर मछली प्रदेश के जलों की मूल मछली है। अतः प्रदेश के जलों को महाशीर मछली से भरपूर रखने के लिए इन जलों में फार्म से उत्पादित अर्न्तराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महाशीर मछली के क्षुद्रमीनों को संग्रहित किया जाना आवश्यक है। इस वर्ष विभागीय कार्प बीज

कार्प मत्स्य बीज

फार्मों से मार्च 2018 तक 530.953 लाख तथा निजी फार्मों से 78.00 लाख (कुल 608.953 लाख) बीज का उत्पादन किया गया है। राज्य में मछली बीज उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश के जिला ऊना में वर्ष 2017–18 में एक और निजी कार्प हैचरी की स्थापना की जा रही हैं।

योजना का नाम	वर्ष 2017–18 का बजट प्रावधान	वर्ष 2017–18 में व्यय
कार्प बीज उत्पादन	91.17 लाख	87.87 लाख

विभागीय कार्प फार्मों पर उत्पादित क्षुद्रमीनों का प्रतिशत विवरण इस प्रकार हैः–

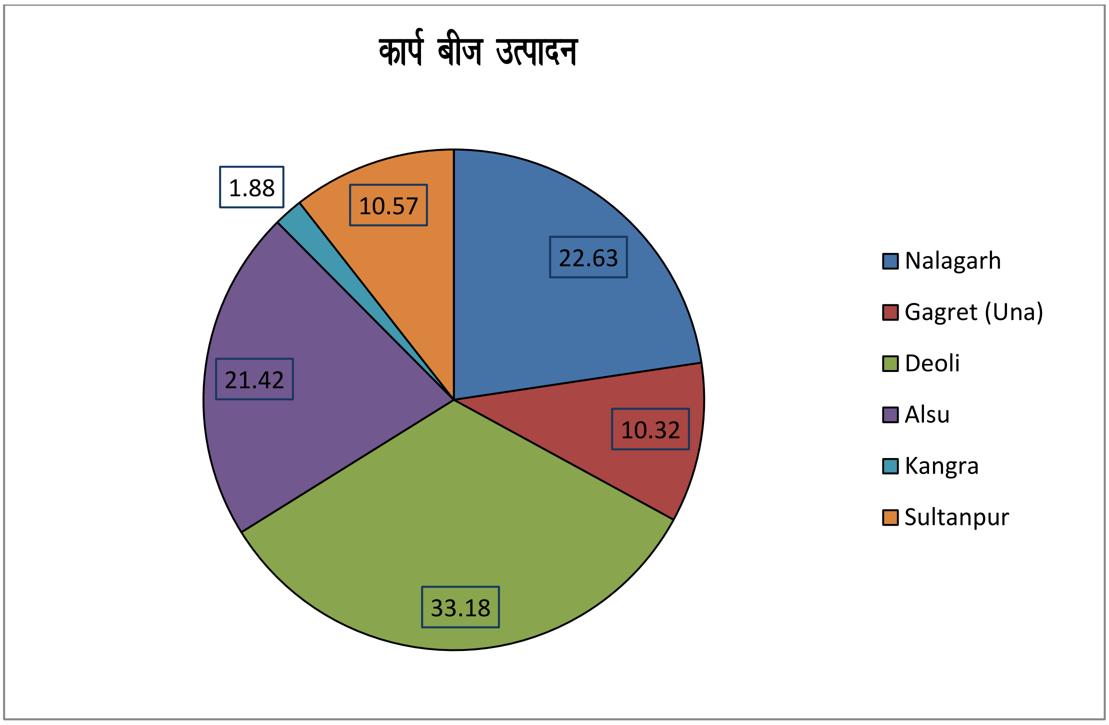

क्रमांक	विभागीय कार्प फार्म का नाम	बीज उत्पादन (लाखों में)
1.	दयोली (बिलासपुर)	176.150
2.	अल्सू (मण्डी)	113.721
3.	कांगड़ा	10.002

4.	सुल्तानपुर (चम्बा)	56.100
5.	नालागढ़ (सोलन)	120.150
6.	गगरेट (ऊना)	54.830
7.	निजी क्षेत्र	78.00
	योग	**608.953**

(ख) क्रीड़ा मात्स्यिकी का प्रबन्धन एवं विकासः

विभाग द्वारा चरणबद्ध तरीके से पुराने फार्मों के नवीनीकरण विस्तार एवं नए ट्राऊट फार्मों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है जिसके अन्तर्गत विद्युत परियोजनाओं से पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के लिए ट्राऊट बीज का अधिक मात्रा में नदियों में संग्रहण किया जाना आवश्यक हो गया है। प्रदेश में कार्यरत ट्राऊट मत्स्य कृषकों की मांग को भी इन फार्मों से पूरा किया जा रहा है। इसलिए विभागीय ट्राऊट फार्मों पतलीकूहल, बरोट, सांगला, होली तथा धमवाड़ी में नवीनतम तकनीक से ट्राऊट मत्स्य पालन किया जा रहा है। इन फार्मों से उचित गुणवत्ता के बीज उत्पादन पर विभाग का विशेष ध्यान है ताकि निजी क्षेत्र में ट्राऊट पालन को बढ़ावा दिया जा सके। इस वर्ष 16.16 लाख ट्राऊट बीज का उत्पादन सरकारी क्षेत्र के बीज फार्मों से हुआ है।

योजना का नाम	**वर्ष 2017-18 का बजट प्रावधान**	**वर्ष 2017-18 में व्यय**
ट्राऊट बीज उत्पादन	100.55 लाख	100.55 लाख

(ग) वाणिज्यिक ट्राऊट उत्पादनः राज्य के ऊपरी ठंडे क्षेत्रों में जल संसाधनों के दोहन तथा मत्स्य कृषि को बढ़ावा देने के लिए विदेशी सहायता से राज्य में ट्राऊट कृषि परियोजना की शुरूआत वर्ष 1989 में की गई थी जो वर्ष 1998 में पूर्ण हो गई है। जिसके मुख्य उद्देश्य आधुनिक ट्राऊट फार्म, हैचरी, रेनबो ट्राऊट, ओवा का उत्पादन एवं विकास, स्थानीय तौर पर मिलने वाले घटकों से कृत्रिम आहार का उत्पादन तथा परियोजना अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण योजना में से सभी को पूर्ण कर लिया गया है। प्राकृतिक आपदाओं को पार करते हुए रेनबो ट्राऊट बीज व आहार के उत्पादन तकनीक को विकसित कर लिया गया है जोकि कुछ ही राज्यों के पास उपलब्ध है। इस तकनीक को मत्स्य कृषकों तक पहुंचाने में भी विभाग द्वारा कार्य किया गया है। वर्ष 2016–17 से पूर्व प्रदेश के 6 जिलों में ट्राऊट का पालन किया जाता था, लेकिन वर्ष 2016–17 से जिला सिरमौर को भी इस क्षेत्र में जोड़ लिया गया है। जिसके कारण प्रदेश में ट्राऊट मत्स्य कृषकों की संख्या दिन–प्रतिदिन बढ़ रही है तथा हिमाचल प्रदेश निजी क्षेत्र में ट्राऊट पालन आरम्भ कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वर्ष 2017–18 में विभाग का मुख्य उद्देश्य मत्स्य बीज व आहार उत्पादन बढ़ाने तथा निजी क्षेत्र में अधिक से अधिक ट्राऊट मत्स्य कृषकों को जोड़ना रहा है।

वर्ष 2017–18 में निजी ट्राऊट मत्स्य पालकों के फार्मों से कुल 446.20 मीट्रिक टन ट्राऊट का उत्पादन हुआ जिसका मूल्य 2007.90 लाख रूपये है तथा यह उत्पादन वर्ष 2016–17 से 30.55 मीट्रिक टन अधिक है। विभागीय फार्मों से भी 129.55 लाख रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।

क्रंम संख्या	ट्राऊट फार्म का नाम	मत्स्य उत्पादन (टनों में)	राजस्व प्राप्ति (लाखों में)
1.	पतलीकुहल (कुल्लू)	7.467	105.561
2.	बरोट (मण्डी)	1.141	10.779
3.	सांगला (किन्नौर)	0.956	8.080
4.	धमवाड़ी (शिमला)	0.880	4.883
5.	होली (चम्बा)	0.088	0.450
	कुलः–	**10.532**	**129.753**

(ग) कार्प बीज फार्मों का विकास एवं रख–रखावः

यह तथ्य सर्वमान्य है कि हिमाचल प्रदेश की नदियों में गोल्डन महाशीर मछली क्रीड़ा मात्स्यिकी के लिए प्रसिद्ध है। कुछ प्राकृतिक कारणों एवं बीज उत्पादन प्रणाली के विकसित न होने के कारण प्रदेश के जलों में इस प्रजाति की गुणात्मक और मात्रात्मक कमी हो रही है। प्रदेश के जलों में इस मछली की पुर्नस्थापना करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रदेश के उपयुक्त जलों में इस प्रजाति के फार्म पर उत्पादित अंगुलिकाओं का उचित मात्रा में संग्रहण किया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिला मण्डी के मछियाल नामक स्थान पर केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अर्न्तगत 572.96 लाख रूपये से अधिक बजट की लागत से एक महाशीर मछली बीज फार्म का निर्माण किया गया है।

योजना का नाम	वर्ष 2017–18 का बजट प्रावधान (लाखों में)	वर्ष 2017–18 में व्यय (लाखों में)
कार्प बीज फार्मों का विस्तार	11.29	11.29

(घ) अनुसूचित जाति उप योजनाः

मत्स्य पालन विभाग सभी ग्रामीणों विशेषकर अनुसूचित जाति से सम्बन्धित जन समुदाय के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने, उनका आर्थिक व सामाजिक पुनः स्तर ऊंचा करने में विशेष योगदान प्रदान करता है। व्यवसायिक मत्स्य पालन समाज के सभी कमजोर वर्गों की मूल आवश्यकता, उत्पादन तथा रोजगार उपलब्ध करवाने में सक्षम है। इस को मद्देनजर रखते हुए 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) में 200.00 लाख रूपये का बजट प्रावधान किया गया था तथा वार्षिक योजना 2017–18 में 83.50 लाख रूपये के संशोधित उद्व्यय से निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं।

(i) सामुदायिक तालाबों का निर्माणः

व्यक्तिगत तौर की अपेक्षा सामुदायिक तौर पर स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से इस योजना की रूप रेखा तैयार की गई है ताकि अधिक से अधिक मत्स्य कृषकों को मत्स्य गतिविधियों से जोड़ा जा सके तथा आर्थिक एवं सामाजिक तौर पर पिछड़े वर्ग के लोगों को एक मंच पर सामूहिक कार्य हेतु प्रेरित किया जा सके। यह योजना प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जीर्ण–शीर्ण अवस्था में पड़े तालाबों के पुनर्निर्माण/मुरम्मत तथा सरकारी भूमि पर नये तालाबों के निर्माण के लिए आरम्भ की गई है। अनुसूचित जाति बहुल्य गावों में इस प्रकार के तालाबों का निर्माण करवाकर उसी क्षेत्र के अनुसूचित जाति के व्यक्ति अथवा समूह को मत्स्य पालन हेतु पट्टे पर दिया जाता है।

सामुदायिक तालाबों का निर्माण

योजना का नाम	वर्ष 2017–18 का बजट प्रावधान	वर्ष 2017–18 में व्यय
सामुदायिक तालाबों का निर्माण (including RKVY)	43.80 लाख	43.80 लाख

(ii) विज्ञापन एवं प्रचारः

मत्स्य पालन का कार्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों द्वारा किया जाता है, जिसमें अधिकतर अनुसूचित जाति के लोग होते हैं जो विभागीय योजनाओं से अधिक जागरूक नहीं होते, उन तक विभागीय योजनाओं को पहुंचाने हेतु विभाग प्रयासरत है। वर्ष 2017–18 में इस मद के लिए 2.00 लाख रूपये का बजट प्रावधान था, जिसमें से 1.75 लाख रू0 का व्यय कर दिया गया है।

प्रशिक्षण शिविर

(iii) अन्य प्रभारः

अनुसूचित जाति बाहुल्य गावों में मत्स्य पालन हेतु अनुसूचित जाति के व्यक्तियों में मत्स्यपालन हेतु जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से एक दिवसीय जागरूकता/प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2017–18 में इस मद में 1.00 लाख रूपये बजट आबंटित था जिसे 100 प्रतिशत व्यय करके 420 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को जागरूक किया गया।

(iv) जलाशय मछुआरों को गिल जाल :

अनुसूचित जाति के जलाशय मछुआरों को मत्स्य दोहन हेतु गिल जालों का वितरण उपदान के रूप में किया जाता है। प्रत्येक जलाशय मछुआरों को गिल जाल की अनुमानित राशि 10,000/– रू0 का 50 प्रतिशत अधिकतम 5000/– रू0 उपदान के रूप में गिल जाल क्रय करके प्रदान किए जाते है। वर्ष 2017–18 में इस योजना के तहत मु0 10.00 लाख रू0 की राशि के गिल जाल 200 मछुआरों को बांटे गए।

(च) जनजातिय क्षेत्र उप योजनाः

हिमाचल प्रदेश के जन जातिय क्षेत्र में किन्नौर, लाहौल व स्पिति तथा चम्बा जिले के भरमौर व पांगी क्षेत्र शामिल हैं। यह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के पूर्ण क्षेत्रफल का 42.4 प्रतिशत है। जन जातिय क्षेत्र में सतलुज, रावी, ब्यास और चिनाव के उपरी भाग आते हैं। जिनमें ट्राऊट पालन की सम्भावनाएं विद्यमान हैं। इन क्षेत्रों में अधिक ऊंचाई पर स्थित झीलें जैसे चंद्रताल (4000 मीटर), माने (4300 मीटर), नाको (4100 मीटर) किरगौर (3500 मीटर) इत्यादि हैं। इन झीलों में ट्राऊट पालन आरंभ करने के प्रयास किये जा रहे हैं। जनजातिय क्षेत्र में 5 एकीकृत जनजातिय परियोजनाओं में से केवल एकीकृत जनजातिय विकास परियोजना किन्नौर तथा लाहौल व स्पिति के लिए ही तीन मत्स्य अधिकारियों के पद स्वीकृत हैं परन्तु किन्नौर के अतिरिक्त अन्य दोनों स्थानों पर पद रिक्त चल रहे हैं। एकीकृत जनजातिय विकास परियोजना भरमौर में मत्स्य अधिकारी नियुक्त नहीं हैं। पांगी क्षेत्र में भी मात्स्यिकी विभाग का कोई कर्मचारी तैनात नहीं है। जनजातिय क्षेत्र में मत्स्य विकास को तकनीकी कर्मचारियों की कमी की वजह से वांछित गतिशीलता प्राप्त नहीं हो सकी है। इस योजना के अन्तर्गत चम्बा जिला के होली में ट्राऊट फार्म स्थापित किया गया है। इस वर्ष के दौरान ट्राऊट बीज फार्म

सांगला के उचित प्रबन्धन पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि यह फार्म वास्पा एवं किन्नौर जिला की अन्य छोटी–छोटी नदियों की भी ट्राऊट बीज की आवश्यकता को पूरा कर सके। सांगला फार्म के जलक्षेत्र में विस्तार का कार्य जारी रहा। चम्बा जिला के जनजातिय क्षेत्र के जलों में ट्राऊट बीज की मांग को पूरा करने के लिए भरमौर क्षेत्र के होली स्थान पर एक ट्राऊट बीज फार्म की स्थापना की गई है तथा थला नामक स्थान पर भी एक नया ट्राऊट फार्म चालू कर दिया गया है। इस वर्ष इस स्कीम में केन्द्र सरकार से विशेष सहायता के रूप में स्वीकृत गैर जनजातिय क्षेत्रों में रह रहे जनजातियों से सम्बन्धित इच्छुक मत्स्य पालकों के लिए 1.80 लाख रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों तथा 27.00 लाख रुपये रेसवेज़ के निर्माण हेतु सहायता अनुदान के रूप में वितरित किये गये जिसके परिणामस्वरूप 17 मत्स्य किसानों को 28.80 लाख रुपये की अनुदान सहायता से लाभान्वित करवाया गया।

योजना का नाम	स्वीकृत संशोधित बजट वर्ष 2017–18	वर्ष 2017–18 में व्यय
जनजातिय उप योजना	28.80 लाख	28.79 लाख

(छ) मात्स्यिकी में आंकड़ों के आधार को सुदृढ़ करना तथा सूचना प्रोद्यौगिकी को बढ़ावा देनाः

दसवीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2002–03 में **'मात्स्यिकी में आकड़ों के आधार को सुदृढ़ करना तथा सूचना प्रोद्यौगिकी को बढ़ावा देना'** नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना का शुभारम्भ हुआ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में इस योजना को शुरू करने हेतु विभाग को सितम्बर, 2003 में स्वीकृति प्रदान की है। विभिन्न श्रेणियों के चार पदों को सृजित करके उन्हें भरे जाने की औपचारिकताएं मार्च, 2004 को पूर्ण हो पाई जिसके साथ ही राज्य में यह योजना प्रारम्भ हो गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मत्स्य से सम्बन्धित मात्रात्मक एवं गुणात्मक सूचनाओं को वैज्ञानिक आधार पर आधारित तकनीक द्वारा एकत्रित करना तथा किसी क्षेत्र में उपलब्ध जल संसाधनों के दोहन की क्षमताओं का आंकलन करना है। इस योजना द्वारा मात्स्यिकी के कार्य में जुड़े लोगों के आर्थिक स्तर का भी विश्लेषण किया जाना है तथा वर्ष 2017–18 में भी इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय अन्तर्देशीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर द्वारा

संकलन (Compilation) करने का कार्य इस वर्ष जारी रहा तथा वर्ष 2018–19 में जारी रहेगा।

(ज) मत्स्य अनुसंधान 'हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय':

मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय को मत्स्य अनुसंधान हेतु वर्ष 1981–82 से अनुदान प्रदान कर रहा है। इस विश्वविद्याालय को प्रदेश के विविध जलवायु के अनुरूप मत्स्य पालन हेतु तकनीक विकसित कर मछली रोगों की रोकथाम पर अनुसंधान का दायित्व दिया गया है, अनुसंधान कार्य एक लम्बी प्रक्रिया है। अतः अनुदान प्रणाली आगामी वर्षों में भी जारी रखी जाएगी। इस वर्ष 3.00 लाख रुपये के प्रावधान से पूर्ण राशि विश्वविद्यालय को मार्च, 2018 तक अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाई जा चुकी है।

10.

विभाग द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं

(क) माहीगीर समूह दुर्घटना बीमा योजना :

प्रदेश के मछुआरों को मछली का शिकार करते समय दुर्घटना में मृत्यु हो जाने या अपंग हो जाने पर क्रमशः उनके आश्रितों या उनके अपने जीवनयापन के लिए इस नील क्रांन्ति मिशन का कार्यान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा

यह योजना जलाशयों में गिल जाल तथा नदियों में फैंकवा जाल से मत्स्य ग्रहण करने वाले समस्त माहीगीरों व मत्स्य पालकों के लिए लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले प्रीमियम को केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 80:20 के अनुपात में अदा करने का प्रावधान है। इसलिए माहीगीर को प्रीमियम के रूप में कोई भी राशि अदा नहीं करनी है। बीमित माहीगीर की मृत्यु अथवा 100 प्रतिशत स्थाई विकलांगता की दशा में उसे/उसके आश्रितों को 2,00,000/– रुपये तथा आंशिक स्थाई अपंगता की दशा में उसे 1,00,000/–रुपये दिये जाने

का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा उपचार हेतु 10,000/- रूपये भी प्रदान किये जाते हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान इस योजना के कार्यान्वन में 12650 मछुआरों की बीमा सुरक्षा पर मु0 1,51,800/- की राशि व्यय की गई जिस में केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा 80:20 के अनुपात में मु0 1,21,440/-रू0 की राशि केन्द्र सरकार द्वारा फिश कोपफैड के माध्यम से व्यय की गई तथा 30,360/- रू0 की राशि राज्य सरकार द्वारा व्यय की गई।

(ख) मछुआरा जोखिम निधि योजनाः

मछुआरों को मछली आखेट करते समय कई बार प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपने जालों, किस्तियों और तम्बुओं से हाथ धोना पड़ता है। मछुआरों को उक्त आपदाओं के कारण हुए नुकसान की एक सीमा तक भरपाई किये जाने के लिए **''मछुआरा जोखिम निधि''** की स्थापना की गई है। प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त संयत्रों की मुरम्मत हेतु इन संयत्रों के कुल मूल्य का 50 प्रतिशत भाग इनको मुरम्मत हेतु इस जोखिम निधि से आर्थिक सहायता के रूप में अदा किया जाता है। इस निधि में वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में प्रत्येक सदस्य मछुआरा अनुज्ञाप्ति पत्र प्राप्त करते समय 20 रुपये जमा करवाएगा और इस प्रकार से जमा कुल राशि के बराबर की राशि प्रदेश सरकार द्वारा जमा करवाने का प्रावधान है। वर्ष 2017-18 के दौरान किसी भी मछुआरे को राहत राशि उपकरणों की मुरम्मत हेतु स्वीकृत नही हुई है।

(ग) जलाशय मछुआरों के लिए अशंदायी बन्द सीजन राहत योजनाः

प्रदेश के समस्त जलों में मछली को प्राकृतिक संबर्न्धन द्वारा वशंवृद्धि करने के लिए राज्य में 01 जून से 31 जुलाई तक की अवधि को वर्जित काल के रूप में रखा गया है तथा इसमें मछली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है। यह वर्जित काल राज्य के सभी सार्वजनिक जलों में लागू है। इसलिए राज्य के जलाशयों में कार्यरत पूर्णकालिक मछुआरे इस बन्द सीजन के समय बेरोजगार हो जाते हैं। जलाशय के इन मछुआरों को बन्द सीजन की इस 2 मास की अवधि में आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत एक अशंदायी आर्थिक सहायता स्कीम

चलाई गई है। इस स्कीम में वित्तीय संसाधनों के रूप में जलाशयों में कार्यरत और स्कीम में सम्मिलित प्रत्येक मछुआरा प्रत्येक वर्ष अगस्त से मई 10 महीनों तक अपनी मत्स्य सहकारी सभा के माध्यम से 100/- रूपये प्रतिमाह अपना अशंदान इस कोष में जमा करवाता है। इस प्रकार से जमा कुल राशि में केन्द्र सरकार 1600/- रूपये प्रति माहीगीर और प्रदेश सरकार 400/- रूपये / माहगीर अपना अशंदान जमा करते हैं। इस प्रकार से एकत्रित कुल अशंदान 3000/- रूपये प्रति माहीगीर को दो माह के मछली पकड़ने के बंद सीजन में क्रमशः 1500-1500/- रूपये वितरित किये जाते हैं। इस स्कीम में केवल वही माहगीर लाभान्वित किये जाते हैं जो किसी प्रकार के अवैध मत्स्य आखेट में संलिप्त नहीं होते हैं। वर्ष 2017-18 में 3850 मछुआरों को इस योजना के अधीन 115.50 लाख रू0 (77.00 Govt. 38.50 Fishernen Share) वितरित किया जाना अपेक्षित है।

(घ) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY):

राज्य में वर्ष 2017-18 में निजी क्षेत्र में 51 नई ट्राऊट ईकाइयों के निर्माण हेतु 113.40 लाख रू0 की राशि अनुदान के रूप में सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को वितरित की गई। प्रदेश के जिला चम्बा में एक ट्राऊट हैचरी के निर्माण हेतु सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को 15.40 लाख रू0 की अनुदान राशि वितरित की गई। प्रदेश में मछली का अधिक उत्पादन बढाने के लिए 7.30 लाख रू0 की लागत से विभिन्न वर्गो के लगभग 132 मत्स्य कृषकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। पौंग जलाशय की मछली को ज्यादा देर तक सुरक्षित रखने के मध्म नजर जिला कागड़ा के धमेटा नामक स्थान पर 35.00 लाख रू0 के अनुदान से एक बर्फ के कारखाने का निर्माण करवाया जा रहा है। इसी प्रकार जिला शिमला के सुन्नी नामक स्थान पर 30.00 लाख रू0 की लागत से एक मत्स्य आवतरण केन्द्र स्थापित किया जा रहा है।

वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) Demand No. 14 के अन्तर्गत निम्नलिखित उपलब्धियां रही।

क्रं.सं.	योजना का नाम	बजट (लाखों में)	व्यय (लाखों में)	लाभार्थियों की संख्या/इकाई
1.	निजी क्षेत्र में ट्राऊट रेसवेज का निर्माण।	113.40	113.40	51

2.	निजी क्षेत्र में ट्राऊट हैचरी का निर्माण।	15.40	15.40	01
3.	मत्स्य कृषकों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु (सामान्य/एस सी/एस टी)	7.30	7.30	132
4.	धमेटा, जिला कांगड़ा में बर्फ के कारखाने का निर्माण	35.00	35.00	01
5.	सुन्नी जिला शिमला (कोलडैम जलाशय) में मत्स्य आवतरण केन्द्र का निर्माण	30.00	30.00	01
	कुल योगः–	**201.10**	**201.10**	**186**

वर्ष 2017–18 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना Demand No. 31-32 के अन्तर्गत निम्नलिखित उपलब्धियां रही।

क्रं.सं.	**योजना का नाम**	**बजट (लाखों में)**	**व्यय (लाखों में)**	**लाभार्थियों की संख्या/इकाई**
1.	अनु–जाति बहुल्य क्षेत्रों में सामुदायिक तालाबों का निर्माण	37.80	37.80	09
2.	जन–जातिय क्षेत्रों में ट्राऊट यूनिटों का निर्माण	13.50	13.50	05
3.	ट्राऊट रेसवेज का निर्माण	21.60	21.60	08
4.	ट्राऊट हैचरी का निर्माण	23.10	23.10	01
5.	अन्य प्रभार (प्रशिक्षण SC/SP)	1.00	1.00	18
	कुल योगः–	**97.00**	**97.00**	**41**

नील क्रान्ति मिशन

○ नील क्रान्ति मिशन–एकीकृत मात्स्यिकी विकास एवम् प्रबंधन (केन्द्रीय प्रायोजित योजना)

मत्स्य पालन कार्यक्रम को बढ़ावा देना विभाग की प्रमुख प्राथमिकता है ताकि प्रदेश में मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ाये जा सके। इसी दृष्टि से केन्द्र सरकार द्वारा योजना प्रायोजित के विभिन्न घटको को कार्यान्वित किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत प्रदेश के जल संसाधनों का दोहन किया जा रहा हैं। नील क्रान्ति मिशन प्रदेश में वर्ष 2016–17 में शुरू हुआ तथा

इसका मुख्य लक्ष्य देश तथा प्रदेश मे रह रहे मछुआरों व मत्स्य पालको का आर्थिक उत्थान् करना एवम् जल संसाधनों का पुर्ण एवम् सही उपयोग करके भोजन तथा पोषण संबधी सुरक्षा प्रदान करना हैं। मात्स्यिकी क्षेत्र में भविष्य में उच्च सम्भावित विकास के मध्यनजर माननीय प्रधान मन्त्री महोदय ने इस क्षेत्र में एक क्रान्ति का अहवान किया है जिसे **"नील क्रान्ति"** नाम दिया गया हैं। नील क्रान्ति मिशन से मछुआरों एव मत्स्य पालको" जो सामाजिक एव आर्थिक दृष्टी से कमजोर हैं, की आय दुगुनी होने की अपेक्षा हैं। भारत सरकार के कृषि एव किसान कल्याण मन्त्रालय के पशुपालन एव दुग्ध तथा मात्स्यिकी विभाग द्वारा भारत वर्ष में संचालित सभी योजनाओं का पुर्नगठन करके एक नई योजना के अधीन इनका क्रियनवयन किया जा रहा है जिसका नाम नील क्रांन्ति मिशन है पुर्नगठित योजना का मुख्य उद्देश्य सभी क्षेत्रों की मछली का उचित विकास एंव प्रबन्धन करना हैं। इस योजना के तहत सरकार तथा लाभार्थी के बीच में 40:60 अनुपात में वित्तीय सहायता दी जाती हैं। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के मात्स्यिकी विभाग में विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से मु0 70.275 लाख रू0 का बजट स्वीकृति किया गया था जिसका घटक–बार विवरण निम्न प्रकार से हैं।

(क) तालाब, दलदल क्षेत्र, जलाशय एवं ठण्डे जलों सम्बन्धी योजनाऐं :–

1. ट्राऊट यूनिटो का निर्माण :–

नील क्रांन्ति मिशन के अन्तर्गत 17x2x1.5=51 Cum साईज के पक्के रेसवेज निर्माण हेतु कुल लागत 2.00 लाख रू0 होती है जिसमें सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के लिए 40 प्रतिशत यानि मु0 0.80 लाख रू0 प्रति रेसवेज केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रदान करने का प्रावधान हैं। वर्ष 2017–18 में प्रदेश के भीतर 17 ट्राऊट यूनिटों के निर्माण हेतु मु0 13.60 लाख रू0 उपदान के रूप में सामान्य श्रेणी के किसानो को प्रदान किऐ गए।

नये ट्राऊट यूनिटो का निर्माण

2. प्रथम वर्षीय आदानों के क्रय हेतु सहायता :–

ट्राऊट प्रति यूनिट पालकों को आदानो (बीज खाद खुराक) के क्रय पर आने वाली लागत 2.50 लाख रू0 का 40 प्रतिशत मु0 1.00 लाख रू0 प्रति यूनिट उपदान सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाता हैं। वर्ष 2017–18 में 17 ट्राऊट यूनिटों के लिए बीज आहार हेतु मु0 17.00 लाख रू0 स्वीकृत किऐ गए।

3. ट्राऊट हैचरी का निर्माण :–

ट्राउट हैंचरी का निर्माण

नील क्रांन्ति मिशन के अन्तर्गत ट्राऊट हैचरी के निर्माण हेतु कुल लागत 25.00 लाख रू0 प्रति हैचरी हैं। जिसमे से 40% यानी मु0 10.00 लाख रू0 प्रति हैचरी के निर्माण हेतु सरकार द्वारा उपदान दिया जाता हैं। इस उपदान में 90 प्रतिशत मु0 9.00 लाख रू0 केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता हैं तथा 10 प्रतिशत यानी मु0 1.00 लाख रू0 राज्य सरकार द्वारा दिऐ जाने का प्रावधान है। वर्ष 2017–18 मे प्रदेश के भीतर जिला कुल्लू, मण्डी, शिमला तथा सिरमौर में 04 ट्राऊट हैचरियों के निर्माण हेतु मु0 40.00 लाख रू0 उपदान के रूप मे किसानों को प्रदान किये गये।

4. नये तालाबों का निर्माण :–

नए मछली तालाब निर्माण हेतु, जिनमें स्थायी जलापूर्ति व्यवस्था का प्रावधान हो, 7.00 लाख रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से तालाब निर्माण के व्यय पर सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 40 प्रतिशत और अनुसुचित जाति, जनजाति तथा महिलायों के लिए 60 प्रतिशत अनुदान के रूप मे दिये जाते है।

नये तालाबों का निर्माण

11.

प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधार

- **ई–समाधानः** मत्स्य विभाग में ई–समाधान प्रणाली को आरम्भ करने के उपरान्त वर्ष में ई–समाधान के अन्तर्गत जो शिकायतें प्राप्त हुई उन सभी का निपटारा कर दिया गया है।

- **ई–सर्विसः** कार्यालय प्रणाली में सुधार लाने की दृष्टि से विभाग में ई–सर्विस प्रणाली भी आरम्भ कर दी गई है व इस कार्य को शत्–प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।

- **ई–लाईसैंसः** इस सेवा से राज्य तथा राज्य के बाहर व विदेशों से आने वाले एंगलर पर्यटकों को उनके घर पर ही बिना किसी असुविधा के लाईसैंस उपलब्ध करवाया जाता है।

12.

12वीं पंचवर्षीय योजना 2012–17 तथा वर्ष 2017–18 के वित्तीय प्रावधान एवं निर्धारित लक्ष्यः

(i) वित्तीय प्रावधानः

क्रं0	योजना का नाम	12वीं पंचवर्षीय योजना के वित्तीय प्रावधान (राशि लाख में)	12वीं पंचवर्षीय के लिए कुल आवंटित बजट	वार्षिक योजना 2017–18 के वित्तीय प्रावधान (राशि लाख में)
1.	निदेशन एवं प्रशासन	194.22	154.49	13.00

2.	जलाशय मात्स्यिकी का विकास एवं प्रबन्ध			
	(a) जलाशय संरक्षण	115.90	10	2.00
	(b) मत्स्य बीज उत्पादन	251.57	417.64	91.17
3.	क्रीड़ा मात्स्यिकी का विकास एवं रख–रखाव (ट्राऊट बीज फार्म)	347.30	416.66	100.55
4.	कार्प बीज फार्मो का विकास एवं रख–रखाव	124.31	58.2	11.29
5.	प्रशिक्षण एवं विस्तार	9.30	7.78	4.10
6.	तजे जल में मत्स्य पालन को बढ़ावा देना	..	..	..
7.	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण कार्यक्रम	74.00	40	..
8.	800– अन्य व्यय			
	(a) मछुआरों का रिस्क फण्ड	13.50	8.9	..
	(b) मछुआरों का कल्याण SCSP	85.50	39.7	..
	(c) मछुआरा दुर्घटना बीमा योजना	9.50	6.5	..
9.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	1014.90	721	201.10
10.	अन्तः स्थलीय मत्स्य सांख्यिकी का प्रबन्ध एवं विकास (केन्द्रीय योजना)	80.00	13.33	13.30
11.	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण (केन्द्रीय योजना)	100.00	0.03	..
12.	मछुआरों का कल्याण (केन्द्रीय योजना)	80.00	0.03	..
13.	एकीकृत मत्स्य विकास एंव	80.00	121.17	70.275

	प्रबन्धन (नील क्रान्ति मिशन)			
	योगः–	**2580.00**	**2015.43**	**506.785**
14.	अनुसूचित जाति उप योजना	200.00	429	116.50
15.	जनजातिय उप योजना	193.00	193.50	40.95
	कुल योग :–	**393.00**	**622.50**	**157.45**

13.

सूचना का अधिकार हिमाचल प्रदेश सरकार, मत्स्य विभाग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 खण्ड 4 (1)(बी) के अन्तर्गत सूचना

(i) विभाग के कार्यो एवं कर्तव्यों का विवरण

विभाग निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयासरत हैः–

- प्रदेश में मछली पालन योग्य जलों के उचित प्रबन्ध से मत्स्य उत्पादन में बढ़ोतरी;
- खुले जल में प्रति हैक्टेयर मत्स्य उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से जलाशय मत्स्य पालन को विकसित करना;
- जलाशय तथा नदीनालों में बीज संग्रहण कार्यक्रम में वृद्धि के उद्देश्य से भारतीय तथा विदेशी मछलियों जैसे महाशीर, ट्राऊट व अन्य समशीतोषण प्रजातियों का बीज उत्पादन करना;
- राज्य में क्रीडा मत्स्य को बढ़ावा देना, विशेषतः ट्राऊट का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन करना है;
- राज्य में मत्स्य पालन के विस्तार हेतु मछुआरों एवं ग्रामीण युवकों को तकनीकी प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना;
- मत्स्य क्षेत्र में रोज़गार के सुअवसर प्रदान करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की दशा सुधारने में योगदान करना;
- निजी क्षेत्र में मत्स्य बीज उत्पादन एवं मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना;

- मत्स्य सहकारी सभाओं के अन्तर्गत कार्यरत मछुआरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का सुचारू क्रियान्वयन;
- मत्स्य उत्पादन में बढ़ोतरी हेतु नवीनतम उपयुक्त प्रजातियों के सम्वर्धन को बढ़ावा देना

कर्तव्य :–

ऊपर कहे गये विभाग के सभी कार्यों के लिए योजनाओं की व्यवस्था करना और हिमाचल प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1976 और नियम 1979 को लागू करना।

(ii) विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्यः

अधिकारियों की शक्तियांः–

अधिकारियों की शक्तियों एवं कर्तव्यों की व्याख्या हिमाचल प्रदश वित्तीय नियम खण्ड–I और खण्ड–II में की गई है। अन्य कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य कार्यालय पुस्तिका में समय–समय पर संसोधन कर विचार–विमर्श करके हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार कार्यालय पुस्तिका में जारी किये जाते हैं। वित्त विभाग के पत्र संख्या–Fin-F(A)-(II)-11/2004 Dated 3rd June 2014, के अनुसार वित्त विभाग ने हिमाचल प्रदेश मत्स्य विभाग में निम्नलिखित आहरण एवं वितरण अधिकारी को नियुक्त कर दिया है।

क्र.सं.	अधिकारों के प्रकार	अधिकारी जिसको अधिकार सौंपा गया है।	अधिकार की सीमा
		कार्यालय खर्च	
1.	कार्यालय मशीनों व उपकरणों की देखभाल	समस्त उप–निदेशक मत्स्य समस्त सहायक निदेशक मत्स्य	एक समय पर 3000/– रूपये तक की एक वस्तु व प्रति वर्ष 10000/– रूपये तक की सीमा

2.	कार्यालय मशीनों व उपकरणों की खरीद	समस्त उप–निदेशक मत्स्य समस्त सहायक निदेशक मत्स्य	20,000/– रूपये प्रति वर्ष की सीमा तक 5000/– रूपये तक की प्रत्येक वस्तु की खरीद
3.	सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत सेवा प्रदाता को सेवाओं के बाहरी स्त्रोत से सेवाएं प्रदान करने हेतु भुगतान करना	समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी	पूर्ण अधिकार शशर्त बजट उपलब्धता व सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति
4.	स्थानीय स्टेशनरी की छोटी–मोटी खरीद	समस्त उप–निदेशक मत्स्य समस्त सहायक निदेशक मत्स्य	1. केवल आकस्मिक मामलों में 500/–रूपये तक की प्रत्येक खरीद के लिए 3000/–रूपये प्रति वर्ष की सीमा तक खरीदने का अधिकार, 2. मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग से से रू0 5000/–तक की लेखन सामग्री का क्रय।

1. मोटर वाहन

1.	मुरम्मत, अतिरिक्त सामान और उपयोग करने योग्य साधनों के लिए	समस्त उप–निदेशक मत्स्य समस्त सहायक निदेशक मत्स्य	एक समय पर 5000/–रूपये तक का खर्च तथा 20,000/– रूपये तक सीमा तक खर्च करने का अधिकार
2.	पी.ओ.एल. के लिए	समस्त उप–निदेशक मत्स्य समस्त सहायक निदेशक मत्स्य	समय–समय पर हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशानिर्देशों के अतिरिक्त विषय पर पूर्ण अधिकार

2. सामग्री और आपूर्ति

1.	मत्स्य आहार, मछली पकड़ने के उपकरण और अन्य उपकरण	समस्त उप–निदेशक मत्स्य समस्त सहायक निदेशक मत्स्य	विभागीय स्थायी समीति द्वारा अनुमोदित दरों पर 20.00 खर्च करने का अधिकार।

3. रख–रखाव

1.	इस मद में मुरमम्त व रख–रखाव में हुए व्यय को शामिल किया गया है। जिसमें मजदूरी व सामग्री भी सम्मिलित है।	समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी	आपूर्ति आदेश से पूर्व सभी प्रकार की औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत एक मुश्त 20 हजार रू0 तक तथा 40 हजार रूपये प्रति वर्ष तक सीमित।
		समस्त उप–निदेशक मत्स्य समस्त सहायक निदेशक मत्स्य	एक समय पर 2500/– रूपये तक तथा 10,000/– रूपये प्रति वर्ष सीमित है

4. मशीनरी और उपकरण

1.	गैर उपभोगीय वस्तुएं जैसे फार्मो में प्रयोग होने वाले मछली जाल, अन्य संयत्र व उपकरण	समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी	प्रशासनिक विभाग/ विभागाध्यक्ष के स्तर पर विभागीय स्थाई समिति द्वारा अनुमोदित दरों पर 20 लाख रूपये व्यय करने का अधिकार

नोटः– उपरोक्त सभी वित्तीय अधिकार बजट प्रावधानों/उपलब्धता के अधीनस्थ प्रदान किये गये हैं।

14.

अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्य

निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य, हिमाचल प्रदेशः

- विभाग का मुखिया
- राज्य में अन्तदेर्शीय मात्स्यिकी, जलाशय मात्स्यिकी और शीत जल एक्वाकल्चर के विकास और प्रबन्धन के लिए विभिन्न योजनाओं को बनाना
- मछुआरों के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना मछुआरों की सहायता करना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष योजनाएं बनाना, आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार और विकासशील योजनाओं की व्यवस्था करना और कार्यान्वयन करने के लिए केन्द्रीय मन्त्रालय, हिमाचल प्रदेश सरकार तथा अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना
- राज्य में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन करना
- योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन के लिए विभाग के नियन्त्रण अधिकारियों के साथ बैठक रखना
- बजट और लक्ष्यों का आबंटन
- चल रहे नये कार्यो/योजनाओं/परियोजनाओं का निरीक्षण करना
- आर.टी.आई. के अन्तर्गत मत्स्य विभाग का पहला appellant अधिकारी।

उप–निदेशक मत्स्यः

- विभिन्न प्रकार की योजनाओं और स्कीमों को बनाने में निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य की सहायता करना
- निदेशक मत्स्य के द्वारा चिन्हित योजनाओं और स्कीमों को कार्यान्वित करना
- उनके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की मत्स्य स्कीमों के बजट पर नियन्त्रण
- कार्यालय में कार्य कर रहा आहरण एवं वितरण अधिकारी स्टाफ उनके अधीन
- अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत तकनिकी और प्रशासनिक नियन्त्रण और स्टाफ के कार्य पर उनका नियन्त्रण
- समीक्षा बैठकों में भाग लेना

- ❖ सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त

सहायक निदेशक मत्स्यः

- ❖ अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत तकनिकी/प्रशासनिक नियन्त्रण तथा स्टाफ के कार्य का नियन्त्रण
- ❖ मत्स्य निदेशक के द्वारा चिन्हित योजनाओं और स्कीमों को कार्यान्वित करना
- ❖ अपने अधीन विभिन्न प्रकार की मत्स्य योजनाओं का बजट पर नियन्त्रण
- ❖ कार्यालय में कार्य कर रहा स्टाफ उनके अधीन
- ❖ समीक्षा बैठकों में भाग लेना
- ❖ पन विद्युत परियोजनाओं का उनके क्षेत्रों पर प्रभाव का मूल्यांकन तथा निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करना
- ❖ मछली पालकों को उच्च गुणवता की मछली बीज आपूर्ति करना और तकनिकी सहायता देना
- ❖ हिमाचल प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1976 और नियम 1979 को लागू करना
- ❖ मछुआरों को लाईसैंस जारी करना
- ❖ आर.टी.आई. के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त।

वरिष्ठ मत्स्य अधिकारीः

- ❖ अधीन क्षेत्र में आने वाले फार्मों के ब्रुड स्टॉक का प्रबन्धन, प्रजनन तथा आहार का ध्यान रखना
- ❖ मत्स्य पालकों की मांग के अनुसार उन्हें मत्स्य बीज विक्रय करना
- ❖ कम्पोनैन्ट प्लान के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करना
- ❖ मत्स्य पालकों के विभिन्न Fish Farmers Development Agency तथा उपदान मसलों को क्रियान्वित करना
- ❖ विभिन्न योजनाओं को लागू करने में सहायक निदेशक मत्स्य की सहायता करना
- ❖ इनके न्याय क्षेत्र में आने वाली नदियों के लिए मछुआरों को मछली पकड़ने हेतु लाईसैंस जारी करना

- अवैध मत्स्य आखेट पर जुर्माना लगाना
- मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण प्रदान करना तथा तकनिकी सहायता मुहैया करना
- आर.टी.आई. अधिनियम के अन्तर्गत सहायक जन सूचना अधिकारी का दर्जा दिया गया है।

मत्स्य अधिकारीः

- अधीन क्षेत्र में आने वाले फार्मों के ब्रुड स्टॉक का प्रबन्धन, प्रजनन तथा आहार का ध्यान रखना
- मत्स्य पालकों की मांग के अनुसार उन्हें मत्स्य बीज विक्रय करना
- अन्तःस्थलीय मात्स्यिकी, जलाशय मात्स्यिकी तथा शीत जल एक्वाकल्चर का प्रबन्धन एवं विकास
- मत्स्य पालकों के विभिन्न एफ.एफ.डी.ए. तथा उपदान मसलों को क्रियान्वित करना
- विभिन्न योजनाओं को लागू करने में सहायक निदेशक मत्स्य की सहायता करना
- इनके न्याय क्षेत्र में आने वाली नदियों के लिए मछुआरों को मछली पकड़ने हेतु लाईसैंस जारी करना
- अवैध मत्स्य आखेट पर जुर्माना लगाना
- मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण प्रदान करना तथा तकनिकी सहायता मुहैया करना
- आर.टी.आई. अधिनियम के अन्तर्गत सहायक जन सूचना अधिकारी का दर्जा दिया गया है।

उप–निरीक्षक मत्स्यः

- अवतरण केन्द्रों पर आने वाली मछली का विवरण रखना
- मत्स्य अधिनियम व नियमों को लागू करना
- मत्स्य अधिकारी तथा वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी को मत्स्य फार्मों या हैचरी के प्रबन्धन में सहायता करना।

क्षेत्रीय सहायक/मत्स्यजीविः

- ❖ नदीय व मात्स्यिकी का संरक्षण
- ❖ अवैध मत्स्य आखेट व विक्रय को रोकना
- ❖ विभागीय एक्वाकल्चर योजनाओं का विस्तार कार्य करना
- ❖ मत्स्य फार्मो का रख–रखाव, जलापूर्ति, आहार, मछली की विक्री, टैंकों या रेसवे की सफाई अथवा अन्य सम्बन्धित कार्य।

फार्म सहायकः

- ❖ मत्स्य पालन पर मत्स्य धन की देख–रेख
- ❖ मछली के आहार एवं प्रजनन में सहायता
- ❖ मछली बीज इत्यादि की पैंकिंग
- ❖ फार्मो पर नियुक्त मत्स्यजीवियों अथवा क्षेत्रीय सहायकों के कार्यो का निरीक्षण।

विभागीय आहार संयन्त्र मकैनिकः

- ❖ विभागीय आहार संयन्त्र को चलाना जो ट्राऊट फीड उत्पादन हेतु प्रयोग की जाए
- ❖ आहार संयन्त्र की छोटी–मोटी मुरम्मत।

पम्प ऑपरेटर/हैल्परः

- ❖ फार्म की जलापूर्ति बनाये रखने के लिए पानी के पम्पों को सुचारू रूप से चलाना
- ❖ फार्म की मशीनरी को चलाने के लिए मकैनिक की सहायता करना।

अधीक्षक ग्रेड–1 :

- ❖ प्रशासनिक शाखा से सम्बन्धित सभी कार्यो का निरीक्षण
- ❖ तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, वाहन चालक सहित कार्य नियुक्त करना तथा इनके कार्यो का निरीक्षण करना
- ❖ यह सुनिश्चित् करना कि सभी डीलिंग हैण्ड तथा डायरिस्ट सभी रजिस्टरों को बनाये रखें तथा समय में अपडेट करते रहें

- ❖ विभिन्न शाखाओं तथा उच्च अधिकारियों के बीच आने जाने वाली डाक व फाइलों पर नजर रखना
- ❖ समय बद्ध मामलों अथवा कोर्ट मामलों पर समय पर प्रस्तुत करने के लिए सुनिश्चित् करना
- ❖ यह सुनिश्चित् करना कि शाखा की सभी पुस्तिकाओं, नियम, निर्देश, गार्ड नस्ति तथा पूर्व रजिस्टरों को सम्भालकर रखा जाए।

अधीक्षक ग्रेड–II

- ❖ समय बद्ध मामलों अथवा कोर्ट मामलों पर समय पर प्रस्तुत करने के लिए सुनिश्चित् करना
- ❖ यह सुनिश्चित् करना कि शाखा की सभी पुस्तिकाओं, नियम, निर्देश, गार्ड नस्ति तथा पूर्व रजिस्टरों को सम्भालकर रखा जाए।

निजी सहायकः

- ❖ निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य की बैठकों का विवरण रखना
- ❖ निदेशक के फोन कॉल को लेना
- ❖ निदेशक द्वारा दिया गया श्रुति लेखन
- ❖ इंचार्ज ऑफिसर द्वारा दिये गये अन्य कार्य प्रभार।

वरिष्ठ सहायकः

- ❖ नस्तियों को खोलना व कायम रखना, नस्तियों की नोटिंग, ड्राफटिंग तथा रिकॉर्डिग देखना, अपनी सम्बन्धित शाखा के विभिन्न रजिस्टरों को बनाये रखना तथा उनका डाटा अपडेट करना
- ❖ भर्ती या पदोन्नति नियमों, सेवा पुस्तिका का रख–रखाव, लीव अकाऊन्ट का सर्विस रिकॉर्ड तैयार करना, पैंशन कागजात तैयार करना, अनुशासनात्मक मामलों तथा निजी नस्तियों इत्यादि सहित स्थापना मामले
- ❖ तकनिकी कर्मचारियों सहित सभी वर्गों की आय स्थायीकरण नियुक्ति, स्थानान्तरण, वरिष्ठता सुनिश्चित् करना तथा ए.सी.पी. के मामले, कोर्ट मामले तथा अन्य मिश्रित मामले।

वरिष्ठ आशुलिपिक / आशुटंकक:

- अधिकारियों द्वारा दिया गया श्रुति लेखन व टंकण कार्य
- विभाग का अन्य टंकण कार्य
- इंचार्ज अधिकारी द्वारा सौंपा गया अन्य कार्य।

कनिष्ठ सहायक:

- उन्हें सौंपा गया सभी टंकण कार्य
- सूचना/रिपोर्ट तैयार करने में तथा रजिस्टरों को रखने में वरिष्ठ सहायक की सहायता करना
- इंचार्ज अधिकारी द्वारा सौंपा गया अन्य कार्य

कार्यवाहक:

- कार्यालय की विभिन्न शाखाओं में नस्तियों का लाना ले जाना
- अन्य स्थानीय कार्यालयों में सम्बन्धित पत्रों को पहुंचाना
- इंचार्ज ऑफिसर द्वारा सौंपा गया अन्य कार्य।

(iii) निरीक्षण और जवाबदेही सहित, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनुकरणीय कार्यप्रणाली / प्रक्रिया :–

विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाएं राज्य सरकार के व्यय की वार्षिक सूची में प्रदान की जाती है। विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत सभी प्रस्तावों को सरकार की सहमति प्राप्त होने के बाद ही वित्तीय अनुदान प्राप्त होता है। क्रियान्वित योजनाएं निम्नलिखित हैं:–

- **एक्वाकल्चर योजना :–**

सभी पंचायती राज संस्थाओं की बैठकों, राज्य तथा जिला स्तरीय मेलों की प्रदर्शनियों और क्षेत्रीय कर्मचारियों के माध्यम से योजनाओं को प्रचारित किया जाता है। मत्स्य क्षेत्रीय सहायक मामलों को क्रियान्वित करने में सहायक होता है तथा उसके बाद सम्बन्धित मत्स्य अधिकारी / वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी / सहायक निदेशक मत्स्य भूमि के स्वामित्व की पुष्टि करने के बाद उस स्थान का निरीक्षण करता है। अनुमान पत्र जूनियर इंजीनियर के द्वारा तैयार

किये जाते हैं। वित्तीय सहायता काम की प्रगति और प्रावधान के अनुसार जारी की जाती है।

निर्माण कार्य विभाग / लोक निर्माण विभाग / ब्लॉक के जूनियर इंजीनियर द्वारा अन्तिम रूप से जांचा जाता है और अन्तिम भुगतान काम के पूरा होने के पश्चात् अनुमान के अनुसार जारी किया जाता है।

जूनियर इंजीनियर पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करता है, इसके साथ–साथ कार्य में किसी भी प्रकार की हानि या अवनति के लिए क्षेत्र के सहायक निदेशक मत्स्य / वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी / मत्स्य अधिकारी उत्तरदायी होते हैं।

- **मछुआरा कल्याणकारी योजनाएं :–**

  सभा तथा क्षेत्र के लैंण्डिग केन्द्र के मत्स्य अधिकारी के सुझाव के बाद जलाशयों में मछुआरों की पहचान मछुआरा सहकारी समीति के स्तर पर की जाती है। आवेदन सुझावों के साथ सम्बन्धित जलाशय के सहायक निदेशक मत्स्य को प्रेषित किये जाते हैं।

  गिल नैट और कास्ट नैट इत्यादि के रेट / फर्म का अनुमोदन राष्ट्रीय समाचार पत्रों द्वारा निविदाएं आमन्त्रित करके निदेशालय स्तर पर केन्द्रीय खरीद कमेटी द्वारा किया जाता है। आपूर्ति आदेश सम्बन्धित सहायक निदेशक मत्स्य के द्वारा मछुआरों की मांग के अनुसार आपूर्ति कर्ता को दिया जाता है और सामग्री सहायक निदेशक मत्स्य द्वारा जांच करके प्राप्त की जाती है और तब इसको मत्स्य अधिकारी के द्वारा सम्बन्धित मछुआरों को वितरित किया जाता है।

- इसी प्रकार योजना के तहत प्रावधानों के अनुसार अन्य सभी कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है।
- कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी हानि या चूक के लिए सभी सम्बन्धित जवाबदेह हैं।

(iv) अपने कार्यो के निर्वाहन के लिए विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्ड :–

विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न कार्यक्रमों के दिशा–निर्देशों में निर्धारित मानकों के अनुसार विभागीय कार्यो का निर्वहन किया जाता है :–

- निदेशालय विभिन्न स्कीमों और योजनाओं के अन्तर्गत सभी नियन्त्रित अधिकारियों के लक्ष्य और बजट आंबटित करता है। उपलब्धि बजट उपयोगिता, मछली उत्पादन, बीज उत्पादन, राजस्व और रोजगार वृद्धि लक्ष्य के सन्दर्भ में प्रगति की समीक्षा द्वारा आंकी जाती है।
- फार्म प्रभारी (मत्स्य अधिकारी/वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी) फार्म के लिए निर्धारित मत्स्य बीज उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार है। बीज जलाशयों में संग्रहित किया जाता है और सरकार द्वारा निर्धारित दर पर राज्य के मत्स्य उत्पादकों को बेचा जाता है। इन फार्म प्रभारियों के लिए भी मछली उत्पादन जैसे कार्य और साथ ही ट्राऊट उत्पादन के लिए वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करना आवश्यक होता है।
- इसी प्रकार जलाशय के प्रभारी सहायक निदेशक मत्स्य को राज्य के मत्स्य उत्पादन के सम्पूर्ण लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मछली उत्पादन का लक्ष्य प्रदान किया जाता है।
- मछली उत्पादन के लक्ष्यों के अतिरिक्त प्रत्येक जिला मुखिया विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत बजट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए साल के लिए निर्धारित इम्पलाईमैन्ट जनरेशन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है।

(v) कार्यों के निर्वाहन के लिए कर्मचारियों द्वारा प्रयोग करने अथवा नियन्त्रण के अन्तर्गत रखने हेतु नियम, व्यवस्था, निर्देश, पुस्तकें अथवा रिकार्ड :

अपने कार्यों के निर्वहन के लिए विभागिय कर्मचारियों द्वारा निम्नलिखित नियम व्यवस्थाएं प्रयोग की जाती है।

- हिमाचल प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1976 और नियम 1979
- सी.सी.एस. अवकाश नियम
- सी.सी.एस. और सी.सी.ए. नियम
- एच.पी.एफ.आर. नियम और कोष नियम
- एच.पी.एफ.आर. और एस.आर. नियम
- मैडिकल उपस्थिति नियम
- सामान्य वित्तीय नियम
- एच.बी. एडवांस नियम
- वित्तीय शक्तियों का आबंटन

- ❖ छुट्टी यात्रा रियायत नियम
- ❖ बजट पुस्तिका
- ❖ कार्यालय पुस्तिका
- ❖ वाहन नियम
- ❖ पैंशन नियम
- ❖ जी.पी.एफ. नियम

(vi) विभाग द्वारा अथवा इसके नियंत्रण के अन्तर्गत रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण :

मत्स्य विभाग हिमाचल प्रदेश के कार्य में उपयुक्त होने वाले दस्तावेजों की विभिन्न श्रेणियों का उचित विवरण, जो इसके नियन्त्रण में हैं, निम्न प्रकार से है :–

खाता :

- ❖ मासिक लेखा
- ❖ व्यय विवरणी
- ❖ रोकड़ वही
- ❖ रसीद बुक
- ❖ चैक बुक
- ❖ बजट नस्ति
- ❖ सी.ए.जी की रिपोर्ट
- ❖ लेखा परीक्षा रिपोर्ट

स्थापना :

- ❖ डाक प्राप्ति / प्रेषण रजिस्टर
- ❖ आकस्मिक छुट्टी लेखा रजिस्टर
- ❖ हाजरी पंजिका
- ❖ कर्मचारी सेवा पुस्तिका
- ❖ कर्मचारी विवरणी की सूची

विविध :

- ❖ सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं और स्कीमों के अन्तर्गत वार्षिक बजट की पुस्तिका को निर्धारित करना
- ❖ विभाग में प्रस्तुतिकरण के अन्तर्गत मुख्य कार्यों की सूची बनाना
- ❖ विभाग में कार्यान्वयन के तहत मछुआरों और मत्स्यजीवियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का विवरण देना
- ❖ हिमाचल प्रदेश मत्स्य अधिनियम और नियम
- ❖ विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट
- ❖ नस्तियों के प्रधान रजिस्टर
- ❖ वाहनों की लॉग बुक
- ❖ डाक टिकट रजिस्टर
- ❖ विधानसभा और संसदीय प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नस्तियां
- ❖ विधान सभा समीति की रिपोर्ट

उपरोक्त दस्तावेज, आदेशों की पुस्तिका, विशेष वर्णन, नियमावली निदेशालय के साथ / समस्त उप–निदेशक मत्स्य / सहायक निदेशक मत्स्य कार्यालयों में सहज ही उपलब्ध है।

(vii) विभागिय नीतियों अथवा उस पर कार्यान्वयन व्यवस्था के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों द्वारा परामर्श अथवा प्रस्तुतिकरण के लिए किसी व्यवस्था का विस्तृत विवरणः

विभाग की वैब साइट www.hpfisheries.nic.in सामान्य जनता के लिए जानकारी प्राप्त करने के एक उपकरण के रूप में कार्य करती है और विभाग द्वारा चलाई जा रही नीतियों दिशा–निर्देशों के कार्यान्वयन में सुविधा प्रदान करती है। माननीय मुख्यमन्त्री की अध्यक्षता के तहत सभी विधायकों के साथ ''राज्य स्तर की योजना बैठक'' प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। विभाग भी सम्मेलनों, कार्यशालाओं और बैठकों का आयोजन करता है जहां निर्वाचित प्रतिनिधियों और गैर सरकारी संस्थाओं (एन.जी.ओ.) से कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए सुझाव लिए जाते हैं, जिला स्तर 20 सूत्रीय कार्यक्रम समिति और सिकायत समिति का गठन भी सरकार के द्वारा किया

गया है जिनमें जनता के प्रतिनिधियों की सदस्यता है और त्रैमासिक बैठकें जिला स्तर पर होती है।

(viii) दो से अधिक व्यक्तियों वाले बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण जो परामर्श के उद्देश्य से विभाग के एक भाग के रूप में गठित हो सकते हैं इन बोर्डो परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें समय के अनुसार सार्वजनिक जनता के लिए खुली है, या ऐसी बैठकों के प्रारूप जनता के लिए प्राप्त करने योग्य होते हैं अथवा नहीं :–

निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया है:–

शीर्ष समितियां :

(a) हिमाचल प्रदेश मत्स्य कृषक विकास संस्थाओं का शासन निकाय
(b) जलाशय विकास समिति
(c) जल–विद्युत परियोजना के लिए अन्नापति प्रमाण पत्र समिति

निदेशालय स्तर की समितियां :

(a) सामग्री खरीद समिति
(b) विभागीय पदोन्नति समिति
(c) जोखिम निधि समिति

जिला स्तर की समिति :

(a) सामग्री खरीद समिति

उपरोक्त सभी समितियों की बैठकों के साथ–साथ उनके प्रारूप विभागिय पदोन्नति समिति के अलावा सार्वजनिक जनता के लिए प्राप्त हैं।

(ix) अधिकारियों और कर्मचारियों की विवरणी :

क्र.सं.	पद का नाम/ श्रेणी	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	खाली पद
1.	निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य	1	1	0
2.	उप–निदेशक मत्स्य	2	2	0

3.	सहायक अभियंता(सिविल)	1	0	1
4.	अधीक्षक ग्रेड–1	1	1	0
	जोड़	**5**	**4**	**1**
5.	सहायक निदेशक मत्स्य	11	8	3
6.	अनुभाग अधिकारी(एस.ए.एस)	1	1	0
7.	अधीक्षक ग्रेड–II	4	4	0
8.	निजी सहायक	1	1	0
	जोड़	**17**	**14**	**3**
9.	जूनियर अभियंता(सिविल)	2	2	0
10.	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी	7	7	0
11.	मत्स्य अधिकारी	33	17	16
12.	वरिष्ठ सहायक	9	9	–
13.	सांख्यिकी सहायक	2	0	2
14.	वरिष्ठ आशु लिपिक	1	0	1
15.	उप–निरीक्षक मत्स्य	17	10	7
16.	आशु टंकक	1	0	1
17.	जूनियर असिस्टैंट/लिपिक	21	14	07
18.	कार्यालय कनिष्ठ सहायक (आई० टी०)	18	01	17
19.	फार्म सहायक	15	11	4
20.	चालक	9	6	3
21.	मोटर बोट चालक	4	4	–
22.	मकैनिक(ऑटो)	1	1	0
23.	सेल मैन/लिपिक	1	0	1
24.	फीड मील मकैनिक	1	1	0
25.	पम्प ऑपरेटर	1	1	0
	जोड़	**143**	**84**	**59**
26.	क्षेत्रीय सहायक	140	83	57
27.	मत्स्यजीवी	52	42	10
28.	फिल्डमैन(Fieldman)	3	0	3
29.	कार्यवाहक	22	22	0

30.	चौकीदार	14	14	0
31.	चौकीदार–एवं–सफाई कर्मचारी	1	0	1
32.	स्वीपर	1	0	1
	जोड़	**233**	**161**	**72**
	अंतिम जोड़	**398**	**263**	**135**

(x) मौजूद नियमों के अनुसार शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था सहित प्रत्येक अधिकारियों तथा कर्मचारियों के द्वारा प्राप्त वेतन :–

क्रं.सं.	पद का नाम/श्रेणी	01.01.1996 के अनुसार वेतनमान	01.01.2006 के अनुसार वेतनमान	वेतन बन्धन
		श्रेणी–I		
1.	निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य	14300–18600	37400–67000	8700
2.	उप–निदेशक मत्स्य	7880–11660	10300–34800	5400
3.	सहायक अभियंता(सिविल)	7880–11660	10300–34800	5400
4.	अधीक्षक ग्रेड–1	7220–11660	15600–39100	5400
		श्रेणी–II		
5.	सहायक निदेशक मत्स्य	7000–10980	10300–34800	4400
6.	अनुभाग अधिकारी (एस.ए. एस)	7000–10980	10300–34800	5000
7.	अधीक्षक ग्रेड–II	6400–10640	10300–34800	4800
8.	निजी सहायक	6400–10640	10300–34800	4800
		श्रेणी–III		
9.	जूनियर अभियंता(सिविल)	5800–9200	10300–34800	3800
10.	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी	5800–9200	10300–34800	3800
11.	मत्स्य अधिकारी	5480–8925	10300–34800	3600
12.	वरिष्ठ सहायक	5800–9200	10300–34800	4400
13.	सांख्यिकी सहायक	5480–8925	10300–34800	3800
14.	वरिष्ठआशु लिपिक	5800–9200	10300–34800	4400
15.	उप–निरीक्षक मत्स्य	4020–6200	5910–20200	2400
16.	आशु टंकक	3330–6200	5910–20200	2000
17.	जूनियर असिस्टैंट	4400–7000	5910–20200	3600

18.	लिपिक	3120–5160	5910–20200	1900
19.	जूनियर ऑफिस असिस्टैंट (आई०टी०)	–	5910–20200	1950
20.	फार्म सहायक	3120–5160	5910–20200	1900
21.	चालक	3330–6200	5910–20200	2400
22.	मोटर बोट चालक	3120–5160	5910–20200	1900
23.	मकैनिक(ऑटो)	3120–5160	5910–20200	1900
24.	सैल्समैन–कम–लिपिक	3120–5160	5910–20200	1900
25.	फीड मील मकैनिक	3120–5160	5910–20200	1900
26.	पम्प ऑपरेटर	3120–5160	5910–20200	1900
	श्रेणी–IV			
27.	मत्स्य क्षेत्रीय सहायक	2820–4400	4900–10680	1650
28.	मत्स्यजीवी	2720–4260	4900–10680	1400
29.	फिल्डमैन	2720–4260	4900–10680	1400
30.	कलीनर	2620–4140	4900–10680	1300
31.	कार्यवाहक	2620–4140	4900–10680	1300
32.	चौकीदार	2620–4140	4900–10680	1300
33.	चौकीदार–कम–स्वीपर	2620–4140	4900–10680	1300
34.	स्वीपर	2620–4140	4900–10680	1300

(xi) अपनी प्रत्येक शाखा को निर्धारित बजट, सभी योजनाओं के विवरण को प्रकाशित करना, प्रस्तावित व्यय और भुगतान पर रिपोर्ट भेजनाः

वर्ष 2017–18 में अपने प्रत्येक कार्यालय को आबंटित बजट तथा सभी योजनाओं (Plan Schemes) का लेखाशीर्ष बार विवरण :–

1. उप–निदेशक मत्स्य (मु0), बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

क्र.स.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (हजारों में)	व्यय 31.03. 2018 तक
1.	2405–00–001–01(सून)	380.00	380.00
2.	2405–00–101–02(सून)(कार्प बीज उत्पादन)	791.00	790.50
3.	2405–00–101–03(सून)	70.00	70.00
4.	2405–00–109–02(सून)	110.00	110.00
5.	2405–00–101–05(कून)	1418.00	1418.00

6.	2405–00–800–01(सून)	219.00	218.120
7.	2405–00–101–07(एस 20 एन)	42.00	41.72
	जोड़	**3030.00**	**3028.34**
1.	2415–00–796–06(सून)	300.00	300.00
	जोड़	**300.00**	**300.00**
1.	4405–00–001–01	149.00	149.00
	जोड़	**149.00**	**149.00**
	कुल जोड़	**3479.00**	**3477.34**

2. उप–निदेशक मत्स्य, पतलीकुहल (कुल्लू)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट(हजारों में)	व्यय 31.03. 2018 तक
1.	2405–00–101–03(सून)	9220.00	9219.400
2.	2405–00–101–06(एस 10 एन)	448.345	448.345
3.	2405–00–101–06(सी 90 एन)	4035.00	4035.00
4.	2405–00–101–07(एस10 एन)	172.00	172.00
5.	2405–00–101–07(सी 90 एन)	1548.00	1548.00
6.	2405–00–101–02(सून)	40.00	40.00
	जोड़	**15463.345**	**15462.745**
1.	2405–00–789–02(सून)	31.00	6.00
2.	2405–00–789–03(एस 10 एन)	57.32	57.32
3.	2405–00–789–03(सी 90 एन)	515.880	515.880
	जोड़	**604.20**	**579.20**
1.	4405–00–101–03	2371.00	2371.00
	जोड़	**2371.00**	**2371.00**
	कुल जोड़	**18438.545**	**18412.945**

1. सहायक निदेशक मत्स्य, चम्बा

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (हजारों में)	व्यय 31.03. 2018 तक
1.	2405–00–001–01(सून)	40.00	40.00
2.	2405–00–101–02(सून)(कार्प बीज उत्पादन)	757.00	754.200
3.	2405–00–101–03(सून) ट्राऊट बीज फार्म	367.00	367.00

4.	2405-00-101-04(सून)	519.00	518.900
5.	2405-00-101-06(एस10एन)	207.00	207.00
6.	2405-00-101-06(सी90एन)	1863.00	1863.00
7.	2405-00-101-07(सी90एन)	486.00	486.00
8.	2405-00-101-07(एस10एन)	54.00	54.00
	जोड़	**4293.00**	**4290.1**
1.	2405-00-789-02(सून)	233.00	233.00
2.	2405-00-789-03(एस 10 एन)	69.00	69.00
3.	2405-00-789-03(सी 90 एन)	621.00	621.00
	जोड़	**923.00**	**923.00**
1.	2405-00-796-02(सून) (ख,ग,घ)	209.00	209.00
2.	2405-00-796-04(ऊस)	270.00	270.00
3.	2405-00-796-06(सी 90 एन)	486.00	486.00
4.	2405-00-796-06(एस 10 एन)	54.00	54.00
	जोड़	**1019.00**	**1019.00**
1.	4405-00-101-04(सून)	700.00	700.00
	जोड़	**700.00**	**700.00**
	कुल जोड़	**6935.00**	**6932.1**

2. सहायक निदेशक मत्स्य, मत्स्य मण्डल, बिलासपुर

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (हजारों में)	व्यय 31.03.2018 तक
1.	2405-00-001-01(सून)	120.00	120.00
2.	2405-00-101-02(सून)(संरक्षण)	100.00	100.00
3.	2405-00-101-02(सून) (कार्प बीज उत्पादन)	3080.50	3080.50
4.	2405-00-101-04(सून)	170.00	170.00
5.	2405-00-101-06(एस10एन)	48.655	48.655
6.	2405-00-101-06(सी90एन)	437.895	437.895
7.	2405-00-109-02(सून)	23.00	23.00
	जोड़	**3980.05**	**3980.05**
1.	2405-00-789-02(सून)	571.00	571.00
2.	2405-00-789-03(एस 10 एन)	48.680	48.680
3.	2405-00-789-03(सी 90 एन)	438.120	438.120
	जोड़	**1057.800**	**1057.800**
1	4405-00-101-05(एस 10 एन)	300.00	300.00

2.	4405-00-101-05(सी 90 एन)	2700.00	2700.00
3.	4405-00-101-02(सून)	1034.00	1034.00
4.	4405-00-101-04(सून)	735.00	735.00
	जोड़	**4769.00**	**4769.00**
	कुल जोड़	**9806.85**	**9806.85**

3. सहायक निदेशक मत्स्य, पौंगडैम

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (हजारों में)	व्यय 31.03. 2018 तक
1.	2405-00-101-02(सून) (संरक्षण)	100.00	100.00
2.	2405-00-101-02(सून) (मछली बीज उत्पादन)	2866.50	2866.50
	जोड़	**2966.50**	**2966.50**
1.	2405-00-789-03 (सी 90 एन)	378.00	378.00
2.	2405-00-789-03(एस10 एन)	42.00	42.00
3.	2405-00-789-02 (सून)	350.00	350.00
	जोड़	**770.00**	**770.00**
1	4405-00-101-05 (सी 90 एन)	3150.00	3150.00
2.	4405-00-101-05 (एस 10एन)	350.00	350.00
3.	4405-00-001-01-भवन(सून) योजना	2000.00	2000.00
4.	4405-00-101-04(सून) योजना	400.00	400.00
	जोड़	**3500.00**	**3500.00**
	कुल जोड़	**7236.50**	**7236.50**

4. सहायक निदेशक मत्स्य, पालमपुर जिला कांगड़ा

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (हजारों में)	व्यय 31.03. 2018 तक
1.	2405-00-001-01(सून)	100.00	100.00
2.	2405-00-101-02(सून) (कार्प बीज उत्पादन)	295.00	295.00
3.	2405-00-101-04(सून)	115.00	115.00
4.	2405-00-101-06(एस 10 एन)	153.00	153.00
5.	2405-00-101-06(सी 90 एन)	1377.00	1377.00
6.	2405-00-101-07 (सी 90 एन)	324.00	324.00
7.	2405-00-101-07 (एस 10 एन)	36.00	36.00
	जोड़	**2400.00**	**2400.00**
1.	2405-00-789-02(सून)	34.00	34.00

2.	2405-00-789-03(एस 10 एन)	69.00	69.00
3.	2405-00-789-03(सी 90 एन)	621.00	621.00
	जोड़	**724.00**	**724.00**
1.	2405-00-796-05(ऊस)	51.00	51.00
	जोड़	**51.00**	**51.00**
	कुल जोड़	**3175.00**	**3175.00**

5. सहायक निदेशक मत्स्य, नाहन (जिला सिरमौर)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (हजारों में)	व्यय 31.03. 2018 तक
1.	2405-00-001-01(सून)	90.00	89.218
2.	2405-00-101-06(एस 10 एन)	117.00	117.00
3.	2405-00-101-06(सी 90 एन)	1053.00	1053.00
4.	2405-00-101-07(सी 90 एन)	1224.00	1224.00
5.	2405-00-101-07(एस10 एन)	136.00	136.00
	जोड़	**2620.00**	**2619.218**
1.	2405-00-789-07(सी 90 एन)	1224.00	1224.00
2.	2405-00-789-07 (एस 10 एन)	136.00	136.00
3.	2405-00-789-02(सून)	133.00	133.00
4.	2405-00-789-03(सी 10 एन)	69.00	69.00
5.	2405-00-789-03(सी 90 एन)	621.00	621.00
	जोड़	**2183.00**	**2183.00**
1.	4405-00-101-04	2380.00	2380.00
2.	4405-00-001-01	2000.00	2000.00
3.	4405-00-789-02	1400.00	1400.00
	जोड़	**5780.00**	**5780.00**
	कुल जोड़	**10583.00**	**10582.218**

6. सहायक निदेशक मत्स्य, शिमला

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (हजारों में)	व्यय 31.03. 2018 तक
1.	2405-00-001-01(सून)	250.00	250.00
2.	2405-00-101-02(सून)	008.00	007.50
3.	2405-00-101-03(सून)ट्राऊट बीज फार्म	265.00	264.700
4.	2405-00-101-06(एस 10 एन)	153.00	153.00
5.	2405-00-101-06(सी 90 एन)	1377.00	1377.00

6.	2405-00-101-07(सी 90 एन)	1386.00	1386.00
7.	2405-00-101-07(एस 10 एन)	154.00	154.00
	जोड़	**3593.00**	**3592.20**
1	2405-00-789-02(सून)	38.00	38.00
2.	2405-00-789-03(एस 10 एन)	27.00	27.00
3.	2405-00-789-03(सी 90 एन)	243.00	243.00
	जोड़	**308.00**	**308.00**
1.	2405-00-796-02(सून) (क,ख,ग,घ)	450.00	450.00
2.	2405-00-796-04(ऊस)	270.00	270.00
3.	2405-00-796-06(सी 90 एन)	729.00	729.00
5.	2405-00-796-06(एस 10 एन)	81.00	81.00
	जोड़	**1530.00**	**1530.00**
1.	4405-00-101-03	2249.00	2248.00
	जोड़	**2249.00**	**2248.00**
	कुल जोड़	**7680.00**	**7678.20**

7. सहायक निदेशक मत्स्य, मण्डी

क्र.सं	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (हजारों में)	व्यय 31.03. 2018 तक
1.	2405-00-001-01(सून)	70.00	70.00
2.	2405-00-101-02(सून) (मछली बीज उत्पादन)	585.00	585.00
3.	2405-00-101-03(सून) ट्राऊट बीज फार्म	83.00	82.800
4.	2405-00-101-04(सून)	65.00	64.700
5.	2405-00-101-06(एस 10 एन)	234.00	234.00
6.	2405-00-101-06(सी 90 एन)	2106.00	2106.00
7.	2405-00-101-07(सी 90 एन)	1386.00	1386.00
8.	2405-00-101-07 (एस 10एन)	154.00	154.00
	जोड़	**4683.00**	**4682.50**
1.	2405-00-789-02(सून)	142.00	142.00
2.	2405-00-789-03(एस 10 एन)	327.00	327.00
3.	2405-00-789-03(सी 90 एन)	2943.00	2943.00
	जोड़	**3412.00**	**3412.00**
1.	2405-00-796-05(ऊस)	51.00	51.00
	जोड़	**51.00**	**51.00**
1.	4405-00-101-03	729.00	729.00
2.	4405-00-101-04	3159.900	3159.900
	जोड़	**3888.900**	**3888.900**

	कुल जोड़	12034.90	12034.40

8. सहायक निदेशक मत्स्य, ऊना

क्रं.सं.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (हजारों में)	व्यय 31.03. 2018 तक
1.	2405-00-001-01(सून)	45.00	45.00
2.	2405-00-101-02(सून)	170.00	170.00
3.	2405-00-101-03(सून)	50.00	50.00
4.	2405-00-101-04(सून)	260.00	260.00
	जोड़	**525.00**	**525.00**
1.	2405-00-789-02(सून)	121.00	121.00
2.	2405-00-789-03(एस 10 एन)	42.00	42.00
3.	2405-00-789-03(सी 90 एन)	378.00	378.00
	जोड़	**541.00**	**541.00**
1.	2405-00-796-05(ऊस)	51.00	51.00
	जोड़	**51.00**	**51.00**
1.	4405-00-101-05(सी 90 एन)	1980.00	1980.00
2.	4405-00-101-05(एस 10 एन)	215.00	215.00
	जोड़	**2195.00**	**2195.00**
	कुल जोड़	**3312.00**	**3312.00**

9. सहायक निदेशक मत्स्य, सोलन

क्रं.सं.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (हजारों में)	व्यय 31.03. 2018 तक
1.	2405-00-001-01(सून)	180.00	180.00
2.	2405-00-101-02(सून)	163.500	163.500
	जोड़	**343.50**	**343.50**
1.	2405-00-789-02(सून)	125.00	125.00
2.	2405-00-789-03(एस 10 एन)	42.00	42.00
3.	2405-00-789-03(सी 90 एन)	378.00	378.00
	जोड़	**545.00**	**545.00**
1.	2405-00-796-05(ऊस)	27.00	25.500
	जोड़	**27.00**	**25.50**
1.	4405-00-101-01	591.00	591.00
	जोड़	**591.00**	**591.00**
	कुल जोड़	**1506.50**	**1505.00**

10. सहायक निदेशक मत्स्य, हमीरपुर

क्रं.सं.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट(हजारों में)	व्यय 31.03. 2018 तक
1.	2405-00-789-02(सून)	122.00	122.00
2.	2405-00-789-03(एस 10 एन)	42.00	42.00
3.	2405-00-789-03(सी 90 एन)	378.00	378.00
	जोड़	**542.00**	**542.00**

(xii) आबंटित राशि सहित अनुदान कार्यक्रमों को लागू करने का तरीका तथाऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण :-

आर्थिक सहायता के लिए लाभार्थियों का चयन उप-निरीक्षक मत्स्य / सहायक निदेशक मत्स्य / मत्स्य अधिकारी / वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी द्वारा किया जाता है और सम्पूर्ण मामला सम्बन्धित सहायक निदेशक मत्स्य / उप-निदेशक मत्स्य को स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। आर्थिक सहायता सुविधा का विस्तार नियमों के अन्तर्गत सीमाओं के भीतर रहकर निर्धारित किया जाता है।

(xiii) विभाग द्वारा छूट, स्वीकृतियां अथवा अधिकार प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का विवरण :-

विभाग द्वारा कोई विशेष छूट प्रदान नहीं की जाती।

(xiv) इलैक्ट्रोनिक रूप में विभाग द्वाराउपलब्ध जानकारी के सम्बन्ध में विवरण :-

- विभागीय स्कीमों के बारे में जानकारी विभागीय वैब साईट http://hpfisheries.nic.in पर ली जा सकती है।
- विभाग की वैवसाइट को नियमित रूप से अपडेट किया जा रहा है।

(xv) एक पुस्तकालय अथवा रीडिंग रूम के कार्य सहित नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए जनता के प्रयोग के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

विभाग से सम्बन्धित सूचना विभाग की वैब साइट **http://hpfisheries.nic.in** में देखी जा सकती है। कोई भी नागरिक इस सूचना को प्राप्त कर सकता है। मत्स्य विभाग हिमाचल प्रदेश में जनता के

लिए सूचना प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय या रीडिंग रूम की सुविधा या व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

(xvi) नाम, पद और अन्य जन सूचना अधिकारियों का विवरण :–

मत्स्य विभाग हिमाचल प्रदेश

राज्य स्तरीय

अपील सम्बन्धी अधिकारी	पद और कार्यालय पता	अधीन (क्षेत्र/विषय)	ई–मेल का पता	दूरभाष/फैक्स नंम्बर
पहला अपील अधिकारी	निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य निदेशालय मत्स्य पालन, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश	सम्पूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेश	dirhpfish@rediffmail.com / fisheries-hp@nic.in	01978–224068 (कार्यालय) 223390(घर) मोबाईल–94180–07615

राज्य स्तरीय

पी.आई.ओ. /ए.पी.आई. ओ.	पद और कार्यालय का पता	अधीन (क्षेत्र/विषय)	ई–मेल का पता	कार्यालय दूरभाष नंम्बर
पी.आई.ओ.	उप–निदेशक मत्स्य(मु0) निदेशालय मत्स्य पालन बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश–174001	सम्पूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेश	ddfisheries-bil-hp-@nic.in	01978–223212 (कार्यालय)
पी.आई.ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य(मु0)	सम्पूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेश	Adfisheries-bpl-hp@nic.in	01978–223212 (कार्यालय)

पी.आई.ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य(20 सूत्रीय)	सम्पूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेश	---	01978–223212 (कार्यालय)
ए.पी.आई.ओ.	अधीक्षक ग्रेड–II निदेशालय मत्स्य पालन बिलासपुर	सम्पूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेश	---	01978–223212 (कार्यालय)

जिला स्तर

क्र.सं.	**पद और कार्यालय का पता**	**अधीन (क्षेत्र/विषय)**	**ई–मेल का पता**	**कार्यालय दूरभाष नंम्बर**
		जिला बिलासपुर		
पी.आई.ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य, मत्स्य मण्डल बिलासपुर	जिला बिलासपुर	...	01978–222568 (कार्यालय)
ए.पी.आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी दियोली (घाघस)	मत्स्य फार्म दियोली (घाघस)	...	...
ए.पी.आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी लठियानी, जिला ऊना	मत्स्य लैंडिंग केन्द्र, लठियानी	...	...
ए.पी.आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी भाखड़ा, जिला बिलासपुर	मत्स्य लैंडिंग केन्द्र, भाखड़ा	...	...
ए.पी.आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी संरक्षण, बिलासपुर	मत्स्य लैंडिंग केन्द्र, बिलासपुर	...	...
ए.पी.आई.ओ.	उप–निरीक्षक मत्स्य, मान्दली	मत्स्य लैंडिंग केन्द्र, मान्दली	...	...
ए.पी.आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, जगातखाना	मत्स्य लैंडिंग केन्द्र, जगातखाना	...	...

		जिला मण्डी		
पी.आई.ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य, मत्स्य मण्डल मण्डी	जिला मण्डी	adf-mandi-hp@nic.in	01905–235141 (कार्यालय)
ए.पी.आई. ओ.	मत्स्य अधिकारी, मत्स्य फार्म, अल्सू, जिला मण्डी	कार्प मत्स्य फार्म, अल्सू, जिला मण्डी	...	...
ए.पी.आई. ओ.	मत्स्य अधिकारी, ट्राऊट फार्म, वरोट, जिला मण्डी	ट्राऊट फार्म, वरोट, जिला मण्डी	...	...
		जिला कुल्लू		
पी.आई.ओ.	उप–निदेशक मत्स्य, पतलीकुहल, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	जिला कुल्लू	ddfisheries-kul-hp@nic.in	01902–240163 (कार्यालय)
ए.पी.आई. ओ.	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, पतलीकुहल, जिला कुल्लू	इण्डो ट्राऊट फार्मिंग प्रोजैक्ट पतलीकुहल	...	01902–240163 (कार्यालय)
ए.पी.आई. ओ.	मत्स्य अधिकारी, बटाहर हैचरी, जिला कुल्लू	बटाहर हैचरी, जिला कुल्लू	...	...
ए.पी.आई. ओ.	मत्स्य अधिकारी, लारजी, जिला कुल्लू	लारजी, जिला कुल्लू	...	...
		पौंगडैम		
पी.आई.ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य, पौंगडैम, जिला कांगड़ा	जिला कांगड़ा	adfisheriespong@ gmail.com	01893–288910 (कार्यालय)

ए.पी.आई. ओ.	मत्स्य अधिकारी, धमेटा, जिला कांगड़ा	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, धमेटा	...	...
ए.पी.आई. ओ.	मत्स्य अधिकारी, देहरा, जिला कांगड़ा	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, देहरा	...	...
ए.पी.आई. ओ.	मत्स्य अधिकारी, ज्वाली, जिला कांगड़ा	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, ज्वाली	...	...
ए.पी.आई. ओ.	मत्स्य अधिकारी, नगरोटा सूरियां, जिला कांगड़ा	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, नगरोटा सूरियां	...	...
ए.पी.आई. ओ.	मत्स्य अधिकारी, बरनाली, जिला कांगड़ा	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, बरनाली	...	...
ए.पी.आई. ओ.	मत्स्य अधिकारी, नन्दपुर, जिला कांगड़ा	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, नन्दपुर	...	...
		जिला चम्बा		
पी.आई.ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य, चम्बा स्थित सुल्तानपुर, जिला चम्बा	जिला चम्बा	adfisheriesc hamba@ gmail.com	01899-223801 (कार्यालय)
ए.पी.आई. ओ.	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, चम्बा स्थित सुल्तानपुर, जिला चम्बा	जिला चम्बा	...	...
ए.पी.आई. ओ.	मत्स्य अधिकारी, ट्राऊट मत्स्य फार्म, होली, जिला चम्बा	ट्राऊट फार्म, होली,	...	...
		हमीरपुर और कांगड़ा (पौंगडैम सहित)		
पी.आई.ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य, पालमपुर, जिला कांगड़ा	जिला कांगड़ा(पौंग जलाशय	adfpalampur 2017@	01894-231872 (कार्यालय)

		सहित) और हमीरपुर	gmail.com	
ए.पी.आई. ओ.	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, हमीरपुर	जिला हमीरपुर	...	...
ए.पी.आई. ओ.	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, पालमपुर	जिला पालमपुर	...	...
ए.पी.आई. ओ.	उप–निरीक्षक मत्स्य, कांगड़ा	मत्स्य फार्म, कांगड़ा	...	...
जिला किन्नौर और शिमला				
पी.आई.ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य, शिमला–5	जिला शिमला और किन्नौर	adfish-sml-hp@nic.in	0177–2830171 (कार्यालय)
ए.पी.आई. ओ.	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, शिमला	जिला शिमला	...	...
ए.पी.आई. ओ.	मत्स्य अधिकारी, धमबाड़ी	ट्राऊट फार्म, धमबाड़ी	...	...
ए.पी.आई. ओ.	मत्स्य अधिकारी, सांगला	ट्राऊट फार्म, सांगला	...	...
जिला सिरमौर और सोलन				
पी.आई.ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य, सोलन स्थित शामती, जिला सोलन हिमाचल प्रदेश	जिला सोलन और सिरमौर	Adfisheries-sol-hp @nic.in / adf-sir-hp@nic.in	01792–229454 (कार्यालय) 01702. 224985
ए.पी.आई. ओ.	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर	जिला सिरमौर	...	...
ए.पी.आई. ओ.	जूनियर असिस्टैंट, सहायक निदेशक मत्स्य सोलन	जिला सोलन	...	01792–229454 (कार्यालय)
जिला ऊना				
पी.आई.ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य, ऊना, हिमाचल प्रदेश	जिला ऊना	Adfisheries-una-hp@nic.in	01975–227792 (कार्यालय)

ए.पी.आई. ओ.	जूनियर असिस्टैंट, सहायक निदेशक मत्स्य ऊना	जिला ऊना	...	01975-227792 (कार्यालय)
ए.पी.आई. ओ.	उप-निरीक्षक मत्स्य, सहायक निदेशक मत्स्य, ऊना	जिला ऊना	...	01975-227792 (कार्यालय)

वर्ष 2017-18 में सेवा निवृत विभागीय अधिकारी/कर्मचारी 2017-18 की सेवा निवृतियां (अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 तक)

क्र.सं.	**अधिकारी / कर्मचारी का नाम**	**पदनाम**	**सेवा निवृति वर्ष 2017-18**
1.	श्री गुरचरण सिहं	निदेशक एंव प्रारक्षी	31/08/2017
2.	श्री विजय कुमार सरोज	मत्स्य अधिकारी	28/02/2018
3.	श्रीमति मीना देवी	मत्स्य क्षेत्रीय सहायक	31/12/2017
4.	श्री ओम चन्द वर्मा	अधीक्षक ग्रेड-1	30/11/2017
5.	श्री शेर सिहं	मत्स्य क्षेत्रीय सहायक	30/11/2017
6.	श्री इन्द्र देव	मत्स्य क्षेत्रीय सहायक	31/05/2017
7.	श्री मनोहर लाल	मत्स्य क्षेत्रीय सहायक	30/09/2017
8.	श्री ओम दत्त	मत्स्य क्षेत्रीय सहायक	30/11/2017
9.	श्री दुर्गा सिंह	मत्स्य क्षेत्रीय सहायक	31/05/2017
10.	श्री महिन्द्र सिहं	मत्स्य क्षेत्रीय सहायक	30/11/2017
11.	श्री अशोक कुमार वर्मा	सहायक निदेशक मत्स्य	31/12/2017

******

Web: hpfisheries.nic.in
Email: fisheries-hp@nic.in